

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1(ए) 31-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को परिवार सहित गोवा जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2017 से 28 अक्टूबर 2017 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री कुमार सौरभ      | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती. मेघा सिन्हा | — | पति    |
| 3. प्रियांशी सहाय       | — | पुत्री |
| 4. आरव                  | — | पुत्र  |

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. बेलवंशी, रापुसे, उप सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

5761

क्र. एफ 1(ए) 400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 10 से 17 अगस्त 2017 तक आठ दिवस लघुकृत अवकाश, की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1(ए) 58-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री हितेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (जोन-2), भोपाल को परिवार सहित सिविकम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण, भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| 1. श्री हितेश चौधरी        | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अन्जुलता पटेल   | — | पत्नि |
| 3. श्री कैलाश चन्द्र चौधरी | — | पिता  |

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (जोन-2), भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री धर्मवीर सिंह यादव, भापुसे अति. पुलिस अधीक्षक (जोन-1), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक (जोन-2), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (जोन-2), भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 156-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद को परिवार सहित लेह (लद्दाख) कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 5 से 13 जून 2017 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण, भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री रवि कुमार गुप्ता | — | स्वयं  |
| 2. डॉ. रचना गुप्ता       | — | पत्नि  |
| 3. कु. पलक गुप्ता        | — | पुत्री |
| 4. कु. झलक गुप्ता        | — | पुत्र  |
| 5. श्रीमती मिथलेश गुप्ता | — | माताजी |

(2) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2387-2843-2017-ई-चार.—मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का विघटन करती है।

(2) यह अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2389-2843-2017-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-2843-2017-ई-चार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव।

Bhopal the 10th October 2017

No. 2388-2843-2017-E-4.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board Act, 2000 (No. 6 of 2000) the State Government hereby dissolves the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board.

2. This notification shall come into force from date 6th October 2017.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ANIRUDDHE MUKERJEE, Principal Secy.

### वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 2160-1833-2017-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना, जिला सागर के निर्मांकित वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:—

क्र. (1)	बॉयलर क्रमांक (2)	प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि (3)	फर्म द्वारा चाही गई छूट की अवधि (4)
1	एमपी/4847	30-9-2017	4-4-2018
2	एमपी/4846	30-9-2017	4-4-2018
3	एमपी/4840	30-9-2017	4-4-2018
4	एमपी/4841	30-9-2017	5-4-2018
5	एमपी/4842	30-9-2017	14-4-2018
6	एमपी/4845	30-9-2017	14-4-2018
7	एमपी/4844	30-9-2017	5-4-2018
8	एमपी/4843	30-9-2017	14-4-2018
9	एमपी/4774	30-9-2017	5-4-2018
10	एमपी/4775	30-9-2017	17-2-2018
11	एमपी/4776	30-9-2017	5-4-2018
12	एमपी/4801	30-9-2017	14-4-2018
13	एमपी/4802	30-9-2017	14-4-2018

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से तबछर निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-ए के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

### लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 2599-4465-2016-सत्रह-मेडी-1.—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 19, 23 तथा 27 के साथ पठित मध्यप्रदेश फार्मैसी परिषद् नियम, 1978 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित राज्य फार्मैसी परिषद् अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:—

#### राज्य फार्मैसी परिषद्

अधिनियम की धारा 23 के अधीन—

##### अध्यक्ष

श्री ओमप्रकाश जैन,  
नाखोड़ा मेडिकल स्टोर, घटिया,  
जिला उज्जैन (म. प्र.) 9425091103.

##### उपाध्याक्ष

श्री घनश्याम काकानी,  
व्यंकटेश फार्मा, व्यंकटेश नगर  
इन्दौर (म. प्र.) 9425054950.

अधिनियम की धारा 27 के अधीन—

#### कार्यकारिणी सदस्य

- (1) श्री गौतम धींग, 71, रविशंकर नगर, उज्जैन (म. प्र.) 9425092101
- (2) श्री सुभाष गुलाटी, 125, साकेत नगर, इन्दौर (म. प्र.) 9893128428
- (3) श्री राजीव सिंघल, प्रभुकृपा, 120, एस. आर. कम्पाउण्ड, लसुडिया, ए.बी.रोड, इन्दौर (म. प्र.) 9425056394



**भेषजी अधिनियम ( फार्मैसी एक्ट ) 1948 की धारा 19 के खण्ड ( ए ) के अधीन निर्वाचित सदस्य**

- (1) श्री गौतम धोंग 71, रविशंकर नगर, उज्जैन (म. प्र.)
- (2) श्री सुभाष गुलाटी, 125, साकेत नगर, इन्दौर (म. प्र.)
- (3) अशोक कुमार जैन, अशोक मेडिको, गौर मूर्ति, कटरा बाजार, सागर (म. प्र.)
- (4) श्री देव कुमार बड़जात्या, 1/3, मल्हार गंज, इन्दौर (म. प्र.)
- (5) श्री सचिन सेलट, बी-3, चन्द्रिका बिहार, नेपियर टाउन, जबलपुर (म. प्र.)
- (6) रिक्त.

**अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( बी ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (7) श्री बसंत गुप्ता, सेन्ट्रल मेडिको, विजय मार्केट, बरखेड़ा, बी.एच.ई.एल. भोपाल (म. प्र.)
- (8) श्री घनश्याम काकानी, व्यंकटेश फार्मा, व्यंकटेश नगर, इन्दौर (म. प्र.)
- (9) श्री ओम प्रकाश जैन, नाखोड़ा मेडिकल स्टोर, घटिया, जिला-उज्जैन (म. प्र.)
- (10) श्री प्रदीप चौरसिया, एफ-4, कावेरी ब्लॉक, अल्टीमेट कैम्पस, शिरडीपुरम, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.)
- (11) श्री राजीव सिंघल, प्रभुकृपा, 120, एस. आर. कम्पाउण्ड, लसुडिया, ए.बी.रोड, इन्दौर (म. प्र.)

**अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( सी ), ( डी ), ( डीडी ) तथा ( ई ) के अधीन पदेन सदस्य**

- (12) संचालक, चिकित्सा सेवाएं. म. प्र. शासन, भोपाल.
- (13) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म. प्र. शासन भोपाल.
- (14) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म. प्र. शासन, भोपाल.
- (15) शासकीय विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म. प्र. शासन भोपाल

No. 2599-4465-2016-Satra-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by rule 47 of the Madhya Pradesh Pharmacy Council Rules, 1978 read with Section 19, 23 and 27 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the State Government hereby, Notifies the following State Pharmacy Council, namely:—

**The State Pharmacy Council****Under section 23 of the Act—****President**

Shri Omprakash Jain  
Nakhoda Medical store, Ghatiya,  
Distt-Ujjain (M. P.) 9425091103

**Vice-President**

Shri Ghanshyam Kakani,  
Vyanktesh Pharma, Vyanktesh  
Nagar, Indore (M. P.) 9425054950

**Under section 27 of the Act—****Executive Members**

- (1) Shri Gautamchand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain (M. P.) 9425092101
- (2) Shri Subhash Gulati, 125 Saket Nagar, Indore (M. P.) 9893128428
- (3) Shri Rajeev Singhal, Prabhukripa, 120, S. R. Compound, Lasudiya, A. B. Road Indore (M. P.) 9425056394

**Members Elected under clause (a) of section 19 of the Pharmacy Act**

- (1) Shri Gautamchand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain (M. P.)
- (2) Shri Subhash Gulati, 125 Saket Nagar, Indore (M. P.)
- (3) Shri Ashok Kumar Jain, Ashok Medicos, Gour Murti, Katra Bazar Sagar (M. P.)
- (4) Shri Dev Kumar Badjatya, 1/3, Malhar Ganj, Indore (M. P.)
- (5) Shri Sachin Shelat, B-3, Chandrika Vihar, Napier Town, Jabalpur (M. P.)
- (6) Vacant.

**Members Nominated under clause (b) of section 19 of the Pharmacy Act**

- (7) Shri Basant Gupta, central Medico, Vijay Market, Barkheda, BHEL, Bhopal (M. P.)
- (8) Shri Ghanshyam Kakani, Vyanktesh Pharma, Vyanktesh Nagar Indore (M. P.)
- (9) Shri Omprakash Jain, Nakhoda Medical store, Ghatiya Dist. Ujjain (M. P.)
- (10) Shri Pradeep Chourasiya, F-4, Kaveri Block Ultimate Campus, Shirdipuram Kolar Road, Bhopal (M. P.)
- (11) Shri Rajeev Singhal, Prabhukripa, 120, S. R. Compound, Lasudiya, A. B. Road Indore (M. P.)

**Ex-officio members under clause (c), (d), (dd) and (e) of section 19 of the Pharmacy Act**

- (12) Director, Medical Services, Govt. of M. P. Bhopal.
- (13) Director, Public Health and Family Welfare Department, Govt. of M. P. Bhopal.
- (14) Controller, Food and Drugs Administration, Govt. of M. P. Bhopal
- (15) Government Analyst, Food and Drugs Administration, Govt. of M. P., Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, सचिव.

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

फा. क्र. 3750-4466-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल के लंबित दांडिक प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री पंकज दुबे, को देय मासिक पारिश्रमिक रुपये 55,000/- (रु. पचपन हजार) मासिक पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्यय के मासिक पारिश्रमिक पर तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2017 से दिनांक 14 अगस्त 2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. (संबंधित फीस एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वाणी, सचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ-15-26-2017-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015, बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची		सीमायें
				कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	पुनासा	गुंजारी टापू	आरक्षित वन-193	232.04	पूर्व—कक्ष क्रमांक 193 पश्चिम—नर्मदा नदी उत्तर—नर्मदा नदी दक्षिण—कक्ष क्रमांक 193

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ-15-26-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-26-2017-दस-2, दिनांक 3 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd November 2017

No. F-15-26-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

## SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khandwa	Punasa	Gunjari Tapu	RF-193	232.04	East—Compartment No. 193 West—Narmada River North—Narmada River South—Compartment No. 193

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2017

## सूचना

क्रमांक एफ-6-2-2017-सात-3-1522.—प्रदेश के जिलों में वर्षा की कमी, जमीन और सतह के पानी की उपलब्धता, खराब फसल की स्थिति, रिमोट सेंसिंग रिपोर्ट तथा संबंधित जिलों के कलेक्टरों से उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्मांकित कॉलम (2) में दर्शाये जिलों के कॉलम (3) में दर्शाई तहसीलों को गंभीर/मध्यम श्रेणी की सूखा प्रभावित मानती है, और वृद्ध प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना जारी की जाती है :—

## अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	तहसीलों का नाम (3)	श्रेणी (4)
1	अशोकनगर	1. अशोकनगर, 2. ईसागढ़, 3. मुगावली, 4. चंदेरी, 5. शाढोरा, 6. नई सराय, 7. पीपरई.	गंभीर
2	भिण्ड	1. भिण्ड, 2. अटेर, 3. मेहगाँव, 4. लहार, 5. मिहोना, 6. गोहद 7. गौरमी, 8. मौ.	मध्यम
3	छतरपुर	1. छतरपुर, 2. राजनगर, 3. नौगाँव, 4. लौडी, 5. गौरिहार, 6. बिजावर, 7. बड़ामल्हरा, 8. महाराजपुर, 9. बक्सवाहा, 10. चंदला, 11. धुवारा.	मध्यम
4	दमोह	1. दमोह, 2. पथरिया, 3. जवेरा, 4. तेन्दूखेड़ा, 5. हटा, 6. पटेरा, 7. बटियागढ़.	गंभीर
5	ग्वालियर	1. गिर्द, 2. डबरा, 3. भितरवार, 4. चिनौर, 5. घाटीगांव	गंभीर
6	पन्ना	1. पन्ना, 2. गुन्नौर, 3. पवई, 4. शाहनगर, 5. अजयगढ़ 6. रैपुरा, 7. अमानगंज, 8. देवेन्द्र नगर, 9. सिमरिया.	मध्यम
7	सागर	1. सागर, 2. राहतगढ़, 3. रोहली, 4. गढ़ाकोटा, 5. देवरी, 6. केसरी, 7. बंडा, 8. खुरई, 9. बीना, 10. शाहगढ़, 11. माथलोन.	गंभीर
8	सतना	1. रामपुर बाघेलान, 2. नागौद, 3. चेहरा, 4. अमरपाटन 5. रामनगर, 6. मैहर, 7. मझगवां, 8. कोटर, 9. विरसिंहपुर, 10. रघुराजनगर.	मध्यम
9	शिवपुरी	1. शिवपुरी, 2. कोलारस, 3. करेरा, 4. नरवर, 5. पोहरी, 6. पिछोर, 7. खनियाधाना, 8. बदरवास, 9. बैराढ़.	गंभीर
10	सीधी	1. गोपदबनास, 2. सिंहावल, 3. कुसमी, 4. मझौली, 5. रामपुर-नैकिन, 6. चुरहट, 7. बहरी.	मध्यम

(1)	(2)	(3)	(4)
11	टीकमगढ़	1. टीकमगढ़, 2. बल्देवगढ़, 3. निवाड़ी, 4. पृथ्वीपुर, 5. जतारा, 6. पलेरा, 7. ओरछा, 8. खरगापुर, 9. मोहनगढ़, 10. लिधौरा, 11. बड़ागांव (धंसाणा).	गंभीर
12	विदिशा	1. विदिशा, 2. ग्यारसपुर, 3. बासौदा, 4. नटेरन, 5. कुरवाई, 6. सिरोंज, 7. लटेरी, 8. शमशाबाद, 9. त्योंदा, 10. गुलाबगंज, 11. पठारी	गंभीर
13	शाजापुर	1. शाजापुर, 2. मोमन-बडौदिया, 3. शुजालपुर, 4. गुलाना, 5. कालापपीपल, 6. पोलायकलां, 7. अवंतिपुर-बडौदिया.	मध्यम
14	श्योपुर	1. श्योपुरकलां, 2. विजयपुर, 3. कराहल, 4. बडौदा, 5. बीरपुर	मध्यम
15	मुरैना	1. मुरैना, 2. अम्बाह, 3. पोरसा, 4. जौरा, 5. सबलगढ़ 6. केलारस.	मध्यम
16	दतिया	1. दतिया, 2. सेवढ़ा, 3. भांडेर, 4. इन्दरगढ़, 5. बडौनी,	मध्यम
17	शहडोल	1. ब्यौहारी, 2. जयसिंहनगर	मध्यम
18	उमरिया	1. मानपुर	मध्यम
<u>कुल</u>	<u>18 जिले</u>	<u>133 तहसीलें.</u>	

## NOTICE

No. F 6-2-2017-VII-3.—Having taken into account the conditions as arising from rainfall deficiency, decline in the availability of ground and surface water, poor crop conditions, and parameters related to remote sensing & socio-economic parameters etc., ascertained the distress situation that is likely to develop in the area affected by these conditions through sample field varification, and, on the basis of reports available from the Collectors of concerned districts, the State Government has decided to declare drought of a severe/Moderate nature in the Tahsils of following Districts in the State :—

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of Districts	Name of Tahsils	Intensity
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ashoknagar	1. Ashok Nagar, 2. Esagarh, 3. Mungaoli, 4. Chanderi, 5. Shadoura, 6. Nai Saray, 7. Piprai.	Severe
2	Bhind	1. Bhind, 2. Ater, 3. Mehgaon, 4. Lahar, 5. Ron, 6. Mehona, 7. Gohad, 8. Gormi, 9. Mou.	Moderate
3	Chhatarpur	1. Chhatarpur, 2. Rajnagar, 3. Nowgaon, 4. Londi, 5. Gourihar, 6. Bijawar, 7. Badamalhara, 8. Maharajpur, 9. Bakswaha. 10. Chandla, 11. Dhuwara.	Moderate

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Damoh	1. Damoh, 2. Pathariya, 3. Jabera, 4. Tandukheda, 5. Hatta, 6. Patera, 7. Batiyagarh.	Severe
5	Gwalior	1. Gird. 2. Dabra, 3. Bhitwar, 4. Chinor, 5. Ghatigaon	Severe
6	Panna	1. Panna, 2. Gunnaor, 3. Pawai, 4. Shahnagar, 5. Ajayagarh, 6. Repura, 7. Amanganj, 8. Devendra Nagar, 9. Simariya.	Moderate
7	Sagar	1. Sagar, 2. Rahatgarh, 3. Rahli, 4. Garhakota, 5. Deori, 6. Kesli, 7. Banda, 8. Khurai, 9. Beena, 10. Malthone, 11. Shahgarh.	Severe
8	Satna	1. Rampur Baghelan, 2. Nagod, 3. Uchehara, 4. Amarpatan, 5. Ramnagar, 6. Maihar, 7. Majhgawa, 8. Kothar, 9. Birsinghpur, 10. Raghurajnagar.	Moderate
9	Shivpuri	1. Shivpuri, 2. Kolaras, 3. Karera, 4. Narwar, 5. Pohri, 6. Pichhore, 7. Khaniadhana, 8. Badarawas, 9. Bairadh.	Severe
10	Sidhi	1. Gopadbanas, 2. Sinhawal, 3. Kusmi, 4. Manjholi, 5. Rampurnaikin, 6. Churhat, 7. Bahari.	Moderate
11	Tikamgarh	1. Tikamgarh, 2. Baldeogarh, 3. Niwari, 4. Prethvipur, 5. Jatara, 6. Palera, 7. Orchha, 8. Khargapur, 9. Mohangarh, 10. Lidhora, 11. Badagaon (Dhasana).	Severe
12	Vidisha	1. Vidisha, 2. Gyaspur, 3. Basauda, 4. Nateran, 5. Kurwai, 6. Sironj, 7. Lateri, 8. Shamshabad, 9. Teonda, 10. Gulabganj, 11. Pathari.	Severe
13	Shajapur	1. Shajapur, 2. Moman Badodiya, 3. Shujalpur, 4. Kalapipal, 5. Gulana, 6. Polay Kalan, 7. Avantipur Badodiya.	Moderate
14	Sheopur	1. Sheopur, 2. Vijaypur, 3. Karahal, 4. Baroda, 5. Birpur	Moderate
15	Morena	1. Morena, 2. Ambah, 3. Porsa, 4. Joura, 5. Sabalgarh, 6. Kailaras.	Moderate
16	Datia	1. Datia, 2. Sewada, 3. Bhandar, 4. Indergarh, 5. Badhauni	Moderate
17	Shahdol	1. Beohari, 2. Jaisinghnagar	Moderate
18	Umaria	1. Manpur	Moderate
<u>Total</u>	<u>18 Districts</u>	<u>133 Tahsils.</u>	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक/14216/अ . . /2016-2017

धार, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

### :प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम— कदवाल

तहसील— गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	3.449	1.368	4.817
	<b>योग</b>	<b>3.449</b>	<b>1.368</b>	<b>4.817</b>

### अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	उमनसिंह , गुमानसिंह , गणपत , नराणसिंह , कैलाश बा. महेश , गोबिन्द ना.बा. पिता हेमता अ.पा.कर्ता भाई उमनसिंह पिता हेमता जाति भीलाला निवासी कदवाल	21/1	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500	0.500
		23/2	0.400	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400
		23/4	0.000	0.306	0.306	0.000	0.306	0.306
2.	राजु , दशरिया पिता सायरा गमलीबाई , पति स्व. सायरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम कदवाल	21/2/1	0.000	0.582	0.582	0.000	0.582	0.582
		23/3/1	0.160	0.000	0.160	0.160	0.000	0.160
		23/1/2	0.250	0.000	0.250	0.250	0.000	0.250

दिनेश ,रमेश , मुकेश पिता सायरा फुन्दीबाई पति स्व. सायरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम कदवाल	21/2/2	0.830	0.000	0.830	0.830	0.000	0.830	
	23/1/1	0.369	0.000	0.369	0.369	0.000	0.369	
	23/3/2	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240	
4	तेरसिंह पिता हमीर , भोल्या पिता माल्या , सुरलीबाई पति स्व. माल्या जाति भील पता निवासी ग्राम कदवाल	25	2.456	0.000	2.456	1.200	0.000	1.200
योग			4.705	1.368	6.073	3.449	1.368	4.817

प्रकरण क्रमांक/14218/अ . . /2016-2017

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम- मुजाल्दा

तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	0.000	0.334	0.334
	योग	0.000	0.334	0.334

**अनुसूची (2)**

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	भूरसिंह पिता मालसिंह , सुन्दरबाई पति स्व. मालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मुजाल्दा	189/1	0.000	0.167	0.167	0.000	0.167	0.167
2.	लालसिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मुजाल्दा	189/2	0.000	0.167	0.167	0.000	0.167	0.167
	योग		0.000	0.334	0.334	0.000	0.334	0.334



प्रकरण क्रमांक/14469/अ . . /2016-2017

धार, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम- रेहड़दा

तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	113.27	9.713	122.983
	योग	113.27	9.713	122.983

**अनुसूची (2)**

**बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण**

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अनसिंह पिता दित्या जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	256/1	0.256	0.000	0.256	0.256	0.000	0.256
2	इलसिंह पिता कमरु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	25/5	0.384	0.000	0.384	0.384	0.000	0.384
		25/12	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		25/22	0.100	0.000	0.100	0.050	0.000	0.050
3	ईडा पिता ज्ञानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	25/3	0.284	0.000	0.284	0.284	0.000	0.284
		25/11	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		25/14	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
		25/17	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050

4.	उदयसिंह पिता मेहताब जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	228/1	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
		232/2/3, 332/5/3	0.309	0.000	0.309	0.309	0.000	0.309
		237/1	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
		229/2	0.476	0.000	0.476	0.476	0.000	0.476
		235/2/ 2	0.232	0.000	0.232	0.232	0.000	0.232
5.	कलमसिंह, मोहन, भुरसिंह, दिनेश पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	223/1/ 2/3/1 /1	0.820	0.000	0.820	0.820	0.000	0.820
		223/1/ 2/3/1 /2	0.088	0.000	0.088	0.088	0.000	0.088
		223/1/ 2/3/1 /3	0.239	0.000	0.239	0.239	0.000	0.239
6.	कालूसिंह पिता जगन ठूमाबाई पति स्व. जगन जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	200/2	0.763	0.000	0.763	0.763	0.000	0.763
7.	काल्या पिता ज्ञानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	25/6	0.384	0.000	0.384	0.384	0.000	0.384
		25/13	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
		25/18	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
8.	कुसुमबाई पिता अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	225/1	0.753	0.000	0.753	0.753	0.000	0.753
9.	गजेन्द्र ना.बा. पिता मनोहरसिंह पालनकर्ता माता पातलबाई जाति भिलाला पता निवासी ग्राम रेहड़दा	193/1	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
10.	गुडडी, मुन्नी ना.बा. पिता विक्रम पा.कर्ता माता हतरीबाई व हतरीबाई पति स्व. विक्रम जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/4	0.523	0.000	0.523	0.523	0.000	0.523
		232/7/ 1	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
11.	गुड्डु पिता सार्वतसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	50/1/5	0.151	0.000	0.151	0.151	0.000	0.151
		230/1/ 1/3/2	0.145	0.000	0.145	0.145	0.000	0.145
12.	गुलाबसिंह पिता दरियावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	194/2/ 3	0.017	0.000	0.017	0.017	0.000	0.017
13.	ज्ञानसिंग पिता खुमसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	22/3	0.427	0.510	0.937	0.470	0.000	0.470
14.	जैयमालसिंह पिता कालूसिंह धुधाबाई पति स्व. कालूसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	48/2	0.648	0.000	0.648	0.648	0.000	0.648
		48/1	0.289	0.000	0.289	0.289	0.000	0.289
		60/2	0.362	0.000	0.362	0.362	0.000	0.362

15	जामसिंह पिता मोतिसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	53/1/2	0.034	0.000	0.034	0.034	0.000	0.034
		55/2/2	0.168	0.000	0.168	0.168	0.000	0.168
		194/4/3	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		197/4/3	0.065	0.000	0.065	0.065	0.000	0.065
		230/1/3/2	0.179	0.000	0.179	0.179	0.000	0.179
		278/4/4	0.098	0.000	0.098	0.098	0.000	0.098
16	जामसिंह पिता नुरजा जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	85/2/1	0.111	0.000	0.111	0.111	0.000	0.111
17	डेबरा पिता दरियावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	50/1/2	0.152	0.000	0.152	0.152	0.000	0.152
		194/2/1	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		230/1/1/3/3	0.145	0.000	0.145	0.145	0.000	0.145
		278/2/2	0.260	0.000	0.260	0.260	0.000	0.260
18	डुडीबाई पति स्व. ध्यानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	22/2/2	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
19	रूमाल, भावसिंह, मुन्नीबाई पिता थावरीया, व सुकलीबाई पति स्व. थावरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	246/1	0.321	0.000	0.321	0.321	0.000	0.321
20	दशरथ पिता बापुसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	243/2	0.502	0.000	0.502	0.502	0.000	0.502
21	नबु, मदन, रमेश, मगरसिंह, हिरासिंह आलम, पारलीबाई पिता दिपसिंह व सालम सुडा बा. डोल्या थावरिया ना.बा. पिता भुरला व केरुबाई पति स्व. भुरल्या आ.पा. कर्ता माता केरुबाई पति स्व. भुरला जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	2/3	0.171	0.000	0.171	0.171	0.000	0.171
		98/2	0.520	0.000	0.520	0.520	0.000	0.520
22	नवलसिंह, दवलसिंह, शांतिलाल पिता राजमल, नाहलीबाई पति स्व. राजमल जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	85/2/3	0.200	0.200	0.400	0.200	0.000	0.200
23	प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भिलाला ग्राम रेहडदा	258/1/2	0.200	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200
		258/2	0.500	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500
24	प्रेमबाई, उमाबाई, गंगाबाई, हिजुलाबाई, बसंतीबाई पिता नवलसिंह जाति भिलाला ग्राम रेहडदा	297/2	0.143	0.000	0.143	0.143	0.000	0.143
25	बसकड पिता दुर्जन जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	98/3	0.000	0.305	0.305	0.000	0.305	0.305
		98/4	0.000	0.515	0.515	0.000	0.515	0.515
26	बनसिंह पिता झेतारिया जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	248	0.878	0.000	0.878	0.878	0.000	0.878
27	बापूसिंह पिता नारायण जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा	230/2	0.000	0.083	0.083	0.000	0.083	0.083
		245/2/1	0.000	0.269	0.269	0.000	0.269	0.269
		278/5	0.000	0.391	0.391	0.000	0.391	0.391

28	बिलामसिंह पिता तेरसिंह जाति भील ग्राम रेहडदा	108/1	0.196	0.000	0.196	0.196	0.000	0.196
29	भंगु, बदा, सुकल्या, कालु, कालीबाई भुरी, मनीबाई, कनीबाई पिता जीलु सुमलीबाई पति स्व. जीलु जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	255	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105	0.105
		264	0.366	0.000	0.366	0.366	0.000	0.366
30	भारतसिंह पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	239/1	0.450	0.455	0.905	0.450	0.000	0.450
		259/1	0.330	0.000	0.330	0.330	0.000	0.330
31	मंगत्या पिता अमरीया भुरु, दिपक, शिवा सेनाबाई, रमतीबाई गमतीबाई पिता झेतु शाहबाई पति स्व. झेतु जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	191	0.288	0.600	0.888	0.288	0.000	0.288
		195	0.449	0.000	0.449	0.449	0.000	0.449
32	मगन पिता छतरसिंह निवासी ग्राम रेहडदा	200/1/1	0.763	0.000	0.763	0.763	0.000	0.763
33	मोटला, नानका, बहादुर पिता ध्यानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	22/2/1	0.837	0.000	0.837	0.837	0.000	0.837
34	रडु नन्जराम टेदु थावलीबाई सावलीबाई पिता मोतेसिंह जाति भील ग्राम रेहडदा	22/1	0.500	0.437	0.937	0.000	0.470	0.470
35	मनोहरसिंह पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	212/3	1.240	0.000	1.240	1.240	0.000	1.240
		304/2	0.547	0.000	0.547	0.547	0.000	0.547
36	मेहताब पिता मोतेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा	53/1/3	0.034	0.000	0.034	0.034	0.000	0.034
		55/2/3	0.169	0.000	0.169	0.169	0.000	0.169
		194/4/1	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		197/4/1	0.065	0.000	0.065	0.065	0.000	0.065
		230/1/3/3	0.179	0.000	0.179	0.179	0.000	0.179
		278/4/3	0.097	0.000	0.097	0.097	0.000	0.097
37	मुकेश, बिलाम, पदम पिता जगन नहजुबाई पति स्व. जगन जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा	82/1	0.500	0.489	0.989	0.500	0.000	0.500
		82/2/1	0.250	0.245	0.495	0.250	0.000	0.250
38	मुकेश पिता किशन, भुरीबाई पति स्व. किशन जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	85/2/2	0.000	0.111	0.111	0.000	0.111	0.111
39	मुनसिंह, अनसिंह, बुदीबाई, फुदीबाई थावरीबाई, रुण्दीबाई, हतरीबाई, झेताबाई पिता बागडी पानुबाई पति स्व. बागडी जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	202	0.000	0.219	0.219	0.000	0.219	0.219
		251	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052	0.052
		252	0.000	0.042	0.042	0.000	0.042	0.042
		254	0.000	0.491	0.491	0.000	0.491	0.491

40	रंजु बुटिया पिता छीतरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	287/1	0.500	0.530	1.030	0.000	0.500	0.500
41	रणसिंह पिता रतनसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	246/3	0.321	0.000	0.321	0.321	0.000	0.321
42	रमेश पिता शेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा	223/1/1	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
		223/1/2/1	0.623	0.000	0.623	0.623	0.000	0.623
		223/1/2/2	0.225	0.000	0.225	0.225	0.000	0.225
		223/2	0.355	0.000	0.355	0.355	0.000	0.355
		239/2	0.450	0.455	0.905	0.450	0.000	0.450
		259/2, 129/1	0.329	0.000	0.329	0.329	0.000	0.329
43	राजु, मडिया पिता रूग्नाथ जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा	82/2/2	0.494	0.000	0.494	0.250	0.000	0.250
		82/3	0.911	0.000	0.911	0.500	0.000	0.500
		200/3	0.763	0.000	0.763	0.763	0.000	0.763
44	रायसिंह पिता मोतिसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा	229/1	0.475	0.000	0.475	0.475	0.000	0.475
		253/1	0.141	0.000	0.141	0.141	0.000	0.141
		253/2	0.141	0.000	0.141	0.141	0.000	0.141
		258/3	0.709	0.000	0.709	0.709	0.000	0.709
		53/1/1	0.034	0.000	0.034	0.034	0.000	0.034
		55/2/1	0.168	0.000	0.168	0.168	0.000	0.168
		194/4/4	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		197/4/4	0.065	0.000	0.065	0.065	0.000	0.065
		230/1/3/1	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
		278/4/1	0.098	0.000	0.098	0.098	0.000	0.098
45	रामसिंह पिता सोमला जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा	250	0.800	0.000	0.800	0.800	0.000	0.800
		258/1/1	0.200	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200

46	शमसिंह पिता मोतेसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	243/1	0.141	0.000	0.141	0.141	0.000	0.141
		53/2	0.136	0.000	0.136	0.136	0.000	0.136
		53/1/4	0.034	0.000	0.034	0.034	0.000	0.034
		55/2/4	0.169	0.000	0.169	0.169	0.000	0.169
		194/4/2	0.017	0.000	0.017	0.017	0.000	0.017
		197/4/2	0.066	0.000	0.066	0.066	0.000	0.066
		230/1/3/4	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
		278/4/2	0.098	0.000	0.098	0.098	0.000	0.098
		230/1/1/1	0.140	0.000	0.140	0.140	0.000	0.140
47	रूपसिंह पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	228/2	0.599	0.000	0.599	0.599	0.000	0.599
		232/2/2, 232/5/2	0.309	0.000	0.309	0.309	0.000	0.309
		235/2/1	0.232	0.000	0.232	0.232	0.000	0.232
		237/2	0.100	0.000	0.100	0.050	0.000	0.050
48	कैलाश पिता नवलसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	214	6.888	0.000	6.888	6.888	0.000	6.888
		249/1	0.000	1.000	1.000	0.000	0.500	0.500
		297/1	0.150	0.000	0.150	0.150	0.000	0.150
		306	0.573	0.000	0.573	0.573	0.000	0.573
49	भेरूसिंह पिता जुवानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	55/1	0.674	0.000	0.674	0.674	0.000	0.674
		188	0.617	0.000	0.617	0.617	0.000	0.617
		194/3	0.071	0.000	0.071	0.071	0.000	0.071
		197/3	0.261	0.000	0.261	0.261	0.000	0.261
		230/1/2	0.714	0.000	0.714	0.714	0.000	0.714
		278/3	0.391	0.000	0.391	0.391	0.000	0.391
50	लीलाबाई पति स्व. अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/7/4	0.060	0.000	0.060	0.060	0.000	0.060
		235/3	0.696	0.000	0.696	0.696	0.000	0.696
51	लुणिया पिता रतनसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	246/2	0.000	0.321	0.321	0.000	0.321	
52	वेरसिंह, शंकरबाई पिता कालुसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	46/1	0.648	0.000	0.648	0.648	0.000	0.648
		48/2	0.289	0.000	0.289	0.289	0.000	0.289
		60/3	0.363	0.000	0.363	0.363	0.000	0.363
53	लालसिंह पिता दरियावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	50/1/3	0.151	0.000	0.151	0.151	0.000	0.151
		194/2/4	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
54	शेरसिंह, भेरू कलम पिता केशरसिंह जाति भील ग्राम रेहड़दा	25/4	0.400	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400
		25/8	0.184	0.000	0.184	0.184	0.000	0.184

55	श्रीराम पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/2/ 1, 232/5/ 1	0.310	0.000	0.310	0.310	0.000	0.310
		235/2/ 3	0.232	0.000	0.232	0.232	0.000	0.232
		237/3	0.053	0.000	0.053	0.053	0.000	0.053
56	संग्राम ना.बा. पिता कैलाश आ.पा.कर्ता माता प्यारीबाई पति कैलाश जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	301	1.599	0.000	1.599	1.599	0.000	1.599
57	सरदार पिता अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/1	0.440	0.000	0.440	0.440	0.000	0.440
		232/7/ 2	0.313	0.000	0.313	0.313	0.000	0.313
58	समरू पिता ज्ञानसिंह जति भिलाला ग्राम रेहड़दा	25/2	0.384	0.000	0.384	0.384	0.000	0.384
		25/9	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		25/21	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
59	सुरजसिंह पिता दौलतसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	218/1/ 1	0.088	0.000	0.088	0.088	0.000	0.088
		223/1/ 2/3/2	0.419	0.000	0.419	0.419	0.000	0.419
		218/2	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
60	सुरसींह पिता ज्ञानसींह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	25/7	0.283	0.000	0.283	0.283	0.000	0.283
		25/10	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		25/16	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
		25/20	0.050	0.050	0.100	0.050	0.000	0.050
61	हगरिया पिता नानका जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	2/2	0.723	0.000	0.723	0.723	0.000	0.723
62	हीरासिंह पिता ज्ञानसिंह व ज्ञानसिंह पिता खुमसिंह जति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	25/1	0.404	0.000	0.404	0.404	0.000	0.404
		25/15	0.050	0.040	0.090	0.050	0.000	0.050
		25/19	0.050	0.040	0.090	0.050	0.000	0.050
63	अजयसिंह पिता नहारसिंह जाति भिलाला ग्राम रेहड़दा	41/2	0.944	0.000	0.944	0.944	0.000	0.944
		43/3	0.348	0.000	0.348	0.348	0.000	0.348
		47/2	0.393	0.000	0.393	0.393	0.000	0.393
		81/1/2	0.056	0.000	0.056	0.056	0.000	0.056
		278/1/ 1	0.130	0.000	0.130	0.130	0.000	0.130

64	अरविन्द पिता निर्मयसिंह, शारदाबाई पति स्व. निर्मयसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/3/ 2	0.195	0.000	0.195	0.195	0.000	0.195
		232/6/ 2	0.445	0.000	0.445	0.445	0.000	0.445
		232/8/ 2	0.524	0.000	0.524	0.524	0.000	0.524
		234/2	0.225	0.000	0.225	0.225	0.000	0.225
		235/1/ 2	0.349	0.000	0.349	0.349	0.000	0.349
		242/2	0.350	0.000	0.350	0.350	0.000	0.350
65	कनुबाई पति स्व. सुरसिंह दाड़मीबाई पति स्व. नारायणसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	50/2	0.758	0.000	0.758	0.758	0.000	0.758
		81/2	0.225	0.000	0.225	0.225	0.000	0.225
		194/5	0.071	0.000	0.071	0.071	0.000	0.071
		197/5	0.262	0.000	0.262	0.262	0.000	0.262
		245/2/ 2	0.269	0.000	0.269	0.269	0.000	0.269
66	कैलसिंह पिता रालु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	292	1.463	0.000	1.463	1.463	0.000	1.463
		295/2	2.537	0.000	2.537	2.537	0.000	2.537
67	किशोर पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	193/3	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
		212/1	1.240	0.000	1.240	1.240	0.000	1.240
		304/1	0.547	0.000	0.547	0.547	0.000	0.547
68	कुवरसिंह पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	240/2, 241/2	0.815	0.000	0.815	0.215	0.000	0.215
		259/3/ 1	0.329	0.000	0.329	0.329	0.000	0.329
		261	0.951	0.000	0.951	0.951	0.000	0.951
69	कुवरसिंह पिता लालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	64	0.500	0.555	1.055	0.500	0.000	0.500
		215	3.260	0.000	3.260	3.260	0.000	3.260
70	छतरसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	81/1/1	0.056	0.000	0.056	0.056	0.000	0.056
		194/1	0.071	0.000	0.071	0.071	0.000	0.071
		197/1	0.261	0.000	0.261	0.261	0.000	0.261
		245/1	0.538	0.000	0.538	0.538	0.000	0.538
		281	1.000	0.181	1.181	1.000	0.000	1.000
71	जस्युसिंह पिता पेमसिंग जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	90	1.700	1.675	3.375	1.700	0.000	1.700
72	प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	220	2.686	0.000	2.686	2.686	0.000	2.686
		222	2.080	0.000	2.080	2.080	0.000	2.080



73	धुनमसिंह पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	193/2	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
		212/2	1.241	0.000	1.241	1.241	0.000	1.241
		304/3	0.547	0.000	0.547	0.547	0.000	0.547
74	बापुसिंह, सुरजसिंह, दिलीपसिंह, रायकुबाई, कुंवरबाई, मेहरबाई, रेशमबाई, बिरजबाई पिता दोलतसिंह कैलाबाई पति स्व. दोलतसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	207	0.408	0.000	0.408	0.408	0.000	0.408
		209	0.533	0.000	0.533	0.533	0.000	0.533
		213	3.125	0.000	3.125	3.125	0.000	3.125
		249/2	0.180	0.168	0.348	0.180	0.000	0.180
		293	1.000	1.957	2.957	1.000	1.957	2.957
		298	0.836	0.000	0.836	0.836	0.000	0.836
75	रकसिंह, जहरसिंह, वेरसिंह, कालू, मन्थाराम पिता जैराम जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	108/2	0.196	0.000	0.196	0.196	0.000	0.196
		108/5	0.346	0.000	0.346	0.346	0.000	0.346
76	रमेश, समीर पिता थानसिंह, केशरबाई पति स्व. थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	41/1	0.945	0.000	0.945	0.945	0.000	0.945
		43/1	0.348	0.000	0.348	0.348	0.000	0.348
		47/3	0.395	0.000	0.395	0.395	0.000	0.395
		81/1/4	0.056	0.000	0.056	0.056	0.000	0.056
		278/1/3	0.130	0.000	0.130	0.130	0.000	0.130
77	रामसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	41/3	0.944	0.000	0.944	0.944	0.000	0.944
		43/2	0.349	0.000	0.349	0.349	0.000	0.349
		47/1	0.393	0.000	0.393	0.393	0.000	0.393
		81/1/3	0.056	0.000	0.056	0.056	0.000	0.056
		278/1/2	0.130	0.000	0.130	0.130	0.000	0.130
78	लालसिंह पिता रूपसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	276	1.797	0.000	1.797	1.797	0.000	1.797
		296/2	0.271	0.000	0.271	0.271	0.000	0.271
79	शंकर पिता नानका जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	3	0.387	0.000	0.387	0.387	0.000	0.387
		6	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
		13/2	0.993	0.000	0.993	0.993	0.000	0.993
		17	1.735	0.000	1.735	1.735	0.000	1.735
		20	2.289	0.010	2.299	2.289	0.010	2.299
80	सुकला पिता जतनसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	72/1	0.607	0.000	0.607	0.607	0.000	0.607
		247/2	0.226	0.000	0.226	0.226	0.000	0.226
		296/1/1	0.090	0.000	0.090	0.090	0.000	0.090
81	काल्या पिता सोमा जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	85/3/1	0.700	0.247	0.947	0.700	0.000	0.700
82	भुरु पिता सोमा जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	85/3/2	0.000	0.237	0.237	0.000	0.237	0.237
83	बनसिंह, नकलीबाई पिता मंगु जाति भील ग्राम रेहड़दा	218/1/2/1	0.261	0.000	0.261	0.261	0.000	0.261
		18/1/2/6	0.660	0.000	0.660	0.660	0.000	0.660

84	नैनस्या, सुकलीबाई पिता मंगु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	218/1/2/2	0.000	0.255	0.255	0.000	0.255	0.255
		218/1/2/4	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500	0.500
		218/1/2/7	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400	0.400
85	मलस्या पिता मंगु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	218/1/2/3	0.000	0.255	0.255	0.000	0.255	0.255
		218/1/2/5	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400	0.400
		218/1/2/8	0.000	0.420	0.420	0.000	0.420	0.420
86	दलसिंह पिता रणसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	92/1	0.950	0.000	0.950	0.950	0.000	0.950
		92/3	0.927	0.000	0.927	0.927	0.000	0.927
87	मानसिंह मडिया पिता नाथु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	29	0.219	0.000	0.219	0.120	0.000	0.120
88	रूमाल, संतुबाई पिता कालुसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	48/3	0.937	0.000	0.937	0.937	0.000	0.937
		60/1	0.362	0.000	0.362	0.362	0.000	0.362
89	गुलाबसिंह पिता दरियावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	50/1/1	0.152	0.000	0.152	0.152	0.000	0.152
90	संजय, सजन, राकेश पिता चन्द्रसिंह श्यामीबाई पति स्व. चन्द्रसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	50/1/4	0.151	0.000	0.151	0.151	0.000	0.151
		194/2/2	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018	0.018
		230/1/1/3/1	0.144	0.000	0.144	0.144	0.000	0.144
		278/2/1	0.131	0.000	0.131	0.131	0.000	0.131
91	देवीसिंह पिता केसरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	59	3.251	0.000	3.251	3.251	0.000	3.251
		62	0.815	0.000	0.815	0.515	0.000	0.515
		189	1.212	0.000	1.212	1.212	0.000	1.212
92	मुकेश, बिलाम, पदम पिता जगन, नहजुबाई पति स्व. जगन जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	82/1	0.500	0.489	0.989	0.500	0.000	0.500
		82/2/1	0.495	0.000	0.495	0.250	0.000	0.250
93	ठाकरिया पिता जस्सु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा	93	2.000	0.247	2.247	2.000	0.000	2.000
94	छगनसिंह पिता छतरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	200/1/2	0.762	0.000	0.762	0.762	0.000	0.762
95	मीराबाई पिता अजमेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	225/2	0.313	0.000	0.313	0.313	0.000	0.313
		232/7/3	0.440	0.000	0.440	0.440	0.000	0.440
96	भारतसिंह पिता अजयसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	230/1/1/2	0.140	0.000	0.140	0.140	0.000	0.140
97	खुमसिंह सुनिता पिता मनोहरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	232/3/1	0.195	0.000	0.195	0.195	0.000	0.195
		232/6/1	0.444	0.000	0.444	0.444	0.000	0.444
		232/8/1	0.525	0.000	0.525	0.525	0.000	0.525
		234/1	0.224	0.000	0.224	0.224	0.000	0.224
		235/1/1	0.349	0.000	0.349	0.349	0.000	0.349
		242/1	0.350	0.000	0.350	0.350	0.000	0.350

98	पदम पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	240/1, 241/1	0.826	0.000	0.826	0.236	0.000	0.236
		259/3/2	0.329	0.000	0.329	0.329	0.000	0.329
99	कुवरसिंह, वेरसिंह, कैलाश पिता सड़ीया भगुड़ीबाई पति स्व. सड़ीया भुरला भुरु रुमाल पिता सेकड़ीया नकुबाई पति स्व. सेकड़ीया जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	309/1	0.400	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400
100	रमेश पिता दोलेसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा	283	0.000	0.387	0.387	0.000	0.387	0.387
		287/2	0.529	0.500	1.029	0.000	0.500	0.500
योग			117.345	17.156	134.501	113.270	9.713	122.983

प्रकरण क्रमांक/14471/अ . . /2016-2017

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम- खोजाकुआ

तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से			
	योग			


**अनुसूची (2)**

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	9/1	0.175	0.000	0.175	0.175	0.000	0.175
		9/4	0.290	0.000	0.290	0.290	0.000	0.290
		10/5	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		37/2	0.260	0.000	0.260	0.260	0.000	0.260
		42/2	0.434	0.000	0.434	0.434	0.000	0.434
		43/1/3	0.128	0.000	0.128	0.128	0.000	0.128
		259/2/1	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240
		71/1/1	0.466	0.000	0.466	0.466	0.000	0.466
		260/3	0.237	0.000	0.237	0.237	0.000	0.237

2	भागीया पिता भुवान जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	7/1/2/1	0.306	0.000	0.306	0.306	0.000	0.306
		9/8	0.210	0.000	0.210	0.210	0.000	0.210
		257/2/2	0.700	0.000	0.700	0.700	0.000	0.700
		260/2	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
3	हरेसिंग, तेरसिंह, नुरबाई पिता दल्ला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	7/2	0.669	0.010	0.679	0.669	0.010	0.679
		8	1.400	0.000	1.400	1.400	0.000	1.400
		36	0.000	0.899	0.899	0.000	0.899	0.899
		12/2	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
		39	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
		40/2/1	0.065	0.000	0.065	0.065	0.000	0.065
		252	0.355	0.000	0.355	0.355	0.000	0.355
		253	0.136	0.000	0.136	0.136	0.000	0.136
		255	0.523	0.000	0.523	0.523	0.000	0.523
		256	0.867	0.000	0.867	0.867	0.000	0.867
		257/1	2.780	0.010	2.790	2.780	0.010	2.790
		258	0.219	0.000	0.219	0.219	0.000	0.219
259/3	0.314	0.000	0.314	0.314	0.000	0.314		
4	डुडीबाई, कनाबाई पिता भगीया जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	9/2	0.175	0.000	0.175	0.175	0.000	0.175
		9/5	0.290	0.000	0.290	0.290	0.000	0.290
		10/4	0.100	0.000	0.100	0.100	0.000	0.100
		42/4	0.140	0.000	0.140	0.140	0.000	0.140
		42/5	0.075	0.000	0.075	0.075	0.000	0.075
		43/1/2	0.129	0.000	0.129	0.129	0.000	0.129
		43/2/1	0.157	0.000	0.157	0.157	0.000	0.157
		257/1/1	0.314	0.000	0.314	0.314	0.000	0.314
		259/1/1	0.314	0.000	0.314	0.314	0.000	0.314
		259/2/2	0.314	0.000	0.314	0.314	0.000	0.314
5	बल्लु, रीछाबाई पुनाबाई पिता गजा जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	9/3	0.125	0.000	0.125	0.125	0.000	0.125
		9/6	0.290	0.000	0.290	0.290	0.000	0.290
		10/1/1	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		10/1/3	0.070	0.000	0.070	0.070	0.000	0.070
		10/3	0.443	0.000	0.443	0.443	0.000	0.443
		42/1	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240

6	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	9/7	0.200	0.575	0.775	0.200	0.575	0.775
		10/2	0.475	0.000	0.475	0.475	0.000	0.475
		42/3	0.240	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240
		43/1/1	0.225	0.000	0.225	0.225	0.000	0.225
		257/2/1	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
		260/1	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
7	निहालसिंह पिता भीरु जाति भीलाला नि. ग्राम खोजाकुआ	11/1	1.395	0.005	1.400	0.700	0.000	0.700
		11/2	0.561	0.000	0.561	0.300	0.000	0.300
		12/3	0.856	0.010	0.866	0.856	0.010	0.866
		40/2/6/1 41/6/1	0.196	0.000	0.196	0.196	0.000	0.196
		47/2	0.352	0.000	0.352	0.150	0.000	0.150
8	टंटिया, वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	20	1.004	0.010	1.014	1.004	0.010	1.014
9	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	21/1	0.110	0.000	0.110	0.110	0.000	0.110
		22/2	0.031	0.000	0.031	0.031	0.000	0.031
		23/2	0.523	0.000	0.523	0.523	0.000	0.523
		25/2	0.109	0.000	0.109	0.109	0.000	0.109
		33/2/1	0.095	0.000	0.095	0.095	0.000	0.095
		33/3/1	0.000	0.094	0.094	0.094	0.000	0.094
		35/1/1	0.055	0.000	0.055	0.055	0.000	0.055
		59/2/2	0.141	0.000	0.141	0.041	0.000	0.041
		60/2	0.042	0.000	0.042	0.042	0.000	0.042
10	रामसिंह, कुंवरबाई पिता थावरीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	21/2/1	0.027	0.000	0.027	0.027	0.000	0.027
		22/1/1	0.011	0.000	0.011	0.011	0.000	0.011
		23/1/1	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		23/1/9	0.066	0.000	0.066	0.066	0.000	0.066
		24	0.031	0.000	0.031	0.031	0.000	0.031
		25/1/3	0.034	0.000	0.034	0.034	0.000	0.034
		33/1/2/1	0.024	0.000	0.024	0.024	0.000	0.024
		33/4/2/1	0.024	0.000	0.024	0.024	0.000	0.024
		35/2/3/1	0.014	0.000	0.014	0.014	0.000	0.014
		59/2/1/3	0.011	0.000	0.011	0.011	0.000	0.011
		60/1	0.042	0.000	0.042	0.042	0.000	0.042

11	जामसिंह पिता थावरीया , सनीबाई पति स्व. थावरीया , बीराबाई पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	21/2/2	0.028	0.000	<b>0.028</b>	0.028	0.000	0.028
		22/1/2	0.000	0.010	<b>0.010</b>	0.000	0.010	0.010
		23/1/4	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	0.050
		23/1/7	0.065	0.000	<b>0.065</b>	0.065	0.000	0.065
		33/1/1/1	0.023	0.000	<b>0.023</b>	0.023	0.000	0.023
		33/4/3/1	0.024	0.000	<b>0.024</b>	0.024	0.000	0.024
		35/2/1/1	0.013	0.000	<b>0.013</b>	0.013	0.000	0.013
		59/2/1/4	0.043	0.000	<b>0.043</b>	0.043	0.000	0.043
12	नराण, बोंदरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	21/2/3	0.027	0.000	<b>0.027</b>	0.027	0.000	0.027
		23/1/2	0.045	0.005	<b>0.050</b>	0.045	0.005	0.050
		23/1/6	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	0.050
		23/1/10	0.051	0.000	<b>0.051</b>	0.051	0.000	0.051
		25/1/2	0.033	0.000	<b>0.033</b>	0.033	0.000	0.033
		35/2/2/1	0.014	0.000	<b>0.014</b>	0.014	0.000	0.014
		33/1/4/1	0.024	0.000	<b>0.024</b>	0.024	0.000	0.024
		33/4/1/1	0.024	0.000	<b>0.024</b>	0.024	0.000	0.024
		59/2/1/2	0.044	0.000	<b>0.044</b>	0.044	0.000	0.044
13	दलसिंह , सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	21/2/4	0.027	0.000	<b>0.027</b>	0.027	0.000	0.027
		22/1/3	0.011	0.000	<b>0.011</b>	0.011	0.000	0.011
		23/1/3	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	0.050
		23/1/5	0.050	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	0.050
		23/1/8	0.040	0.000	<b>0.040</b>	0.040	0.000	0.040
		25/1/1	0.033	0.000	<b>0.033</b>	0.033	0.000	0.033
		35/2/4/1	0.014	0.000	<b>0.014</b>	0.014	0.000	0.014
		33/1/3	0.024	0.000	<b>0.024</b>	0.024	0.000	0.024
		33/4/4/1	0.024	0.000	<b>0.024</b>	0.024	0.000	0.024
		59/2/1/1	0.043	0.000	<b>0.043</b>	0.043	0.000	0.043
14	जामसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ 	26/2	0.073	0.000	<b>0.073</b>	0.073	0.000	0.073
		27/5	0.230	0.000	<b>0.230</b>	0.230	0.000	0.230
		31/5	0.030	0.000	<b>0.030</b>	0.030	0.000	0.030
		249/1/2	0.174	0.000	<b>0.174</b>	0.174	0.000	0.174

15	अनिल बा. भारत नाबा.हिरबाई भूरीबाई , संगीता बा. रिनु ना.बा.पा.कर्ता पिता गणपत , गणपत पिता ज्वानसिंह जाति भिलाला. निवासी ग्राम खोजाकुआ	26/3	0.073	0.000	0.073	0.073	0.000	0.073
		12/1	0.263	0.300	0.563	0.263	0.300	0.563
		40/2/2/ 2/1, 41/2/1	0.183	0.000	0.183	0.183	0.000	0.183
		43/4	0.063	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063
		250/2	0.300	0.427	0.727	0.300	0.427	0.727
16	हतु पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	27/1	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
		249/1/4	0.171	0.000	0.171	0.171	0.000	0.171
17	गोपाल पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	27/2	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
		31/3	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
		249/1/3	0.171	0.000	0.171	0.171	0.000	0.171
18	खुमसिंह पिता गोटिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	27/3	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
		31/1	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
		249/1/1	0.171	0.000	0.171	0.171	0.000	0.171
19	धुमसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	27/4	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
		31/2	0.047	0.000	0.047	0.047	0.000	0.047
		31/4	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
		249/1/5	0.171	0.000	0.171	0.171	0.000	0.171
20	कुंवरबाई पिता चम्पा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	40/2/2/ 1/1, 41/1/1	0.182	0.000	0.182	0.182	0.000	0.182
21	भुरसिंह , सुरलीबाई ,प्यारीबाई पिता पदम , केशरबाई पति स्व. पदम जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	12/6	0.650	0.007	0.657	0.650	0.007	0.657
		40/2/3/ 1, 41/3/1	0.233	0.000	0.233	0.233	0.000	0.233
		250/1	0.726	0.000	0.726	0.726	0.000	0.726
22	रामसिंह पिता फत्तु जाति भीलाल निवासी ग्राम खोजाकुआ	12/4	0.000	0.707	0.707	0.000	0.707	0.707
		40/2/4/1 , 41/4/1	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
		47/1	0.351	0.000	0.351	0.150	0.000	0.150
23	चम्पा पिता कासु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	12/5/2	0.200		0.200	0.200		0.200
		40/2/5/1 1, 41/5/1/1	0.190	0.000	0.190	0.190	0.000	0.190
		47/3/2	0.176	0.000	0.176	0.076	0.000	0.076

24	लक्ष्मण , रामसिंह , राहुल , ना.बा.पा.कर्ता कासु पिता अन्तरसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	12/5/3	0.200	0.000	<b>0.200</b>	0.200	0.000	0.200
		40/2/5/2/1 , 41/5/2/1	0.190	0.000	<b>0.190</b>	0.190	0.000	0.190
		47/3/1	0.176	0.000	<b>0.176</b>	0.076	0.000	0.076
25	नुराबाई पति रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	43/2/2	0.250	0.000	<b>0.250</b>	0.250	0.000	0.250
26	नहारसिंग पिता टुकड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	43/3	0.052	0.000	<b>0.052</b>	0.052	0.000	0.052
		300	0.742	0.000	<b>0.742</b>	0.742	0.000	0.742
		303/1	0.084	0.000	<b>0.084</b>	0.084	0.000	0.084
27	मदन पिता नाथु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	43/5/1	0.500	0.000	<b>0.500</b>	0.500	0.000	0.500
		43/6/1	0.102	0.000	<b>0.102</b>	0.102	0.000	0.102
		66/2	0.000	0.010	<b>0.010</b>	0.000	0.010	0.010
28	नानका पिता नाथु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	43/6/2	0.101	0.000	<b>0.101</b>	0.101	0.000	0.101
		310/2	0.308	0.000	<b>0.308</b>	0.308	0.000	0.308
29	मिचु पिता नाथु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	43/6/3	0.101	0.000	<b>0.101</b>	0.101	0.000	0.101
		310/3	0.306	0.000	<b>0.306</b>	0.306	0.000	0.306
30	रामसिंह हतरीबाई नवसीबाई पिता मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/1	0.119	0.000	0.119	0.080	0.000	0.080
31	गुमान भुरली पिता सेकड़िया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/2	0.120	0.000	0.120	0.080	0.000	0.080
32	भेरूसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/3	0.071	0.000	0.071	0.036	0.000	0.036
33	केलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/4	0.071	0.000	0.071	0.036	0.000	0.036
34	नवलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/5	0.072	0.000	0.072	0.036	0.000	0.036
35	दिनेश मनिष ना. बा. पिता मडिया ललिताबाई बेवा मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/6	0.072	0.000	0.072	0.036	0.000	0.036
36	जतन प्रताप उकार कुवरसिंह नुरबाई नजुबाई लम्बबाई पिता ज्वानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	44/7	0.071	0.000	0.071	0.036	0.000	0.036
37	ज्ञानसिंह पिता टुकड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	59/1	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
38	ज्वानसिंह, गुलाबबाई पिता सिकदार भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	59/3	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
		61/1	0.408	0.010	0.418	0.408	0.010	0.418
		61/2	0.826	0.010	0.836	0.826	0.010	0.836
		65	0.449	0.000	0.449	0.449	0.000	0.449



39	नंदा, मोहन ,सुरबाई , हिंगलीबाई पिता नानसिंह कालीबाई पति स्व. नानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	63/1 64/1	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018	0.018
		298/1	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
		305	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
40	थावला, सुदलीबाई पिता फाल्या जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	63/2 64/1/2	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		298/2	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
41	गणस्या, चम्पाबाई पिता फाटल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	63/3 64/3/3	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
		298/3	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
42	बदीबाई पत्नी बुदा, गोमती बा. रिकु ना.बा. पिता बुदा धनीबाई पिता फाटल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	63/4 64/4/4	0.019	0.000	0.019	0.019	0.000	0.019
43	कुंवरसिंह , इन्दरसिंह , बुदुसिंह , अमरसिंह , तेरसिंह , गोराबाई बेसरबाई पिता भावसिंह भगड़ीबाई पति स्व. भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	72	0.304	0.000	0.304	0.150	0.000	0.150
44	कुंवरसिंह , अमरसिंह , थावली , भंगड़ी , सायरी , हतरी पिता दरयाव जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ खोजाकुआ	236	1.139	0.000	1.139	0.600	0.000	0.600
		237	0.094	0.000	0.094	0.094	0.000	0.094
		307	0.300	0.369	0.669	0.300	0.369	0.669
45	नानसिंह, बदाबाई पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	247/1	0.559	0.000	0.559	0.559	0.000	0.559
		269/1	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
		271/1	0.909	0.000	0.909	0.909	0.000	0.909
		290/1	0.200	0.323	0.523	0.200	0.323	0.523
46	फुलसिंह , नोजलीबाई , कुंवरीबाई , पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	247/2	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
		247/3	0.559	0.000	0.559	0.559	0.000	0.559
		268/3	1.087	0.010	1.097	1.087	0.010	1.097
		269/3	0.000	0.053	0.053	0.000	0.053	0.053
		270/2	0.241	0.000	0.241	0.241	0.000	0.241
		270/3/1	0.400	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400
		275/2	0.157	0.000	0.157	0.157	0.000	0.157
47	शंकर पिता पातल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	248/1/2 /1	0.490	0.010	0.500	0.490	0.010	0.500
		296/2/1 /2	0.204	0.000	0.204	0.204	0.000	0.204
		303/2/1 /2	0.056	0.000	0.056	0.056	0.000	0.056
48	जतन , प्रताप , ऊंकार , कुंवरसिंह पिता जुवानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	248/1/2 /2	0.531	0.000	0.531	0.531	0.000	0.531

49	बोन्दर पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	249/2	0.300	0.315	0.615	0.300	0.315	0.615
50	भावसिंह पिता भूरला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	263	0.878	0.000	0.878	0.878	0.000	0.878
		264	1.187	2.000	3.187	1.187	2.000	3.187
		265/1	1.160	0.000	1.160	1.160	0.000	1.160
		267/1	0.314	0.000	0.314	0.314	0.000	0.314
		268/2	0.439	0.000	0.439	0.439	0.000	0.439
		268/4	0.763	0.010	0.773	0.763	0.010	0.773
		274	0.500	0.535	1.035	0.500	0.535	1.035
		286/2	0.641	0.000	0.641	0.641	0.000	0.641
51	हिंश पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	265/2/2	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
		265/2/4	0.295	0.000	0.295	0.295	0.000	0.295
		267/2/2	0.209	0.000	0.209	0.209	0.000	0.209
		267/2/4	0.344	0.000	0.344	0.344	0.000	0.344
		267/2/6	0.345	0.000	0.345	0.345	0.000	0.345
		268/1/2	0.130	0.000	0.130	0.130	0.000	0.130
52	भैरू पिता चन्दरिया जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ	265/2/1	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
		265/2/3	0.296	0.000	0.296	0.296	0.000	0.296
		267/2/1	0.200	0.009	0.209	0.200	0.009	0.209
		267/2/3	0.345	0.000	0.345	0.345	0.000	0.345
		267/2/5	0.345	0.000	0.345	0.345	0.000	0.345
		268/1/1	0.131	0.000	0.131	0.131	0.000	0.131
53	प्रेमसिंह , करणसिंह , गंगाबाई , पिता लक्ष्मण , सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	270/3/2	0.209	0.000	0.209	0.209	0.000	0.209
		271/2	0.209	0.000	0.209	0.209	0.000	0.209
54	सुन्दरीया , गणपत , झकुबाई , महकुबाई , रायकुबाई , पिता अनसिंह , मडिया मलसिंह गोराबाई केसरबाई सरमीबाई पिता धुमसिंह, सेकड़ीबाई पति स्व. धुमसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	276	0.199	0.000	0.199	0.199	0.000	0.199
		278	0.418	0.000	0.418	0.418	0.000	0.418
		288/1/6	0.466	0.000	0.466	0.466	0.000	0.466
		288/2/1	0.040	0.010	0.050	0.040	0.010	0.050
		288/4	0.334	0.000	0.334	0.334	0.000	0.334
		354/9	0.000	0.439	0.439	0.000	0.439	0.439

55	भावसिंह पिता नानडिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	279	0.146	0.000	0.146	0.146	0.000	0.146
		288/1/2	0.047	0.000	0.047	0.047	0.000	0.047
		288/1/3	0.293	0.010	0.303	0.293	0.010	0.303
		288/1/5	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500	0.500
		354/5	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
		354/8/2	0.428	0.000	0.428	0.428	0.000	0.428
56	बोन्दरसिंह, उगरसिंह, बालमडीबा, मतरीबाई, हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	281	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
		284/2	0.187	0.000	0.187	0.187	0.000	0.187
		285	0.376	0.000	0.376	0.376	0.000	0.376
		288/1/4	0.400	0.000	0.400	0.400	0.000	0.400
		288/2/2	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		288/2/4	0.290	0.010	0.300	0.290	0.010	0.300
		354/6	0.251	0.000	0.251	0.251	0.000	0.251
		354/8/1	0.428	0.000	0.428	0.428	0.000	0.428
57	थानसिंह पिता लेपरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	282	1.275	0.010	1.285	1.275	0.010	1.285
		290/2	0.600	0.591	1.191	0.600	0.591	1.191
		291	0.408	0.000	0.408	0.408	0.000	0.408
		345	2.048	0.000	2.048	0.500	0.000	0.500
		352/2	0.125	0.000	0.125	0.125	0.000	0.125
58	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	283	1.443	0.010	1.453	1.443	0.010	1.453
59	केरु पिता नानडिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	284/1	0.200	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200
		288/1/7	0.500	0.000	0.500	0.500	0.000	0.500
		288/1/8	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
		288/2/3	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
		292	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
		354/8/3	0.429	0.000	0.429	0.429	0.000	0.429
60	कैलाश, रूपसिंह, रावजी पिता रणजीत जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	286/1	0.320	0.000	0.320	0.320	0.000	0.320
61	गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, मंगडीबाई, छीतरीबाई पिता गुलाब, भुरलीबाई पति स्व. गुलाब दिलीप प्रकाश मंगलीबाई, मुन्नीबाई, रंगलीबाई, रीना पिता गलीया छिताबाई पति स्व. गलीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	287	0.084	0.000	0.084	0.084	0.000	0.084
		288/1/1	0.584	0.400	0.984	0.584	0.400	0.984

62	फुलसिंह पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	290/3	0.983	0.010	0.993	0.983	0.010	0.993
63	रुखड़िया, रायसिंह, ज्वानसिंह पुत्रगण थानसिंह, विरजबाई, पति थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	293/2	0.090	0.004	0.094	0.090	0.004	0.094
64	नवलसिंह पिता नानसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	296/1	1.105	0.000	1.105	1.105	0.000	1.105
65	नानसिंह पिता पुन्या जाति मानकर पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	296/2/1/1	0.349	0.000	0.349	0.349	0.000	0.349
		303/2/1	0.074	0.000	0.074	0.074	0.000	0.074
66	कासल्या पिता पुन्या जाति मानकर निवासी ग्राम खोजाकुआ	296/2/2	0.300	0.383	0.683	0.300	0.252	0.552
		303/2/2	0.131	0.000	0.131	0.131	0.000	0.131
67	कुंवरसिंह वेरसिंह कैलाश पिता सडीया भंगडीबाई पति स्व. सडीया भुरला रूमाल नुरु काली पिता सेकडीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	297	0.637	0.000	0.637	0.637	0.000	0.637
68	इन्दरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	298/4	0.188	0.000	0.188	0.188	0.000	0.188
69	प्यारीबाई पति स्व. सोमला, शोभाबाई पति स्व. सोमला, संजय, दुर्गा, ना.बा. पिता गोपाल, पालन कर्ता भुआ शोभाबाई जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	299/1/1	0.710	0.000	0.710	0.710	0.000	0.710
70	मगन, कैलाश, राजु बा., सोवन नाबा. मडीबाई, रेशमबाई ना.बा.पिता बुधा पा. कर्ता माता भूरीबाई व भूरीबाई पति स्व. बुधा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	299/1/2	0.335	0.000	0.335	0.335	0.000	0.335
		299/2/1	0.377	0.000	0.377	0.377	0.000	0.377
71	भारसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	299/2/2	0.710	0.000	0.710	0.710	0.000	0.710
72	जतन, प्रताप उंकार, कुंवरसिंह, नूरबाई नजुबाई, लम्बबाई पिता ज्वानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	302/2	0.711	0.000	0.711	0.711	0.000	0.711
73	पातल्या पिता भू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	304	0.230	0.000	0.230	0.230	0.000	0.230
74	प्रताप पिता जुवानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	308/2	0.084	0.000	0.084	0.084	0.000	0.084
		309/1	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
75	बुदीबाई पिता मदन जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	310/1	0.296	0.010	0.306	0.296	0.010	0.306
76	नानसिंह पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	354/2	0.000	1.777	1.777	0.000	1.777	1.777
		354/3	0.073	0.000	0.073	0.073	0.000	0.073
		354/4	1.348	0.000	1.348	1.348	0.000	1.348

77	बस्तीया पिता किशन जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	354/7	0.564	0.000	0.564	0.564	0.000	0.564
78	केलसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	302/1/1	0.026	0.000	0.026	0.026	0.000	0.026
79	दिनेश मनीष ना.बा. पिता मडिया ललिताबाई पति स्व. मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	302/1/2	0.026	0.000	0.026	0.026	0.000	0.026
80	नवलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	302/1/5	0.026	0.000	0.026	0.026	0.000	0.026
81	भेरूसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	302/1/6	0.027	0.000	0.027	0.027	0.000	0.027
82	गजा पिता भुवान जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	37/1	0.200	0.000	0.200	0.200	0.000	0.200
83	फुलसिंह पिता तेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	248/1/1	0.923	0.000	0.923	0.923	0.000	0.923
84	कासु पिता मिदु जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	12/5/1	0.257	0.000	0.257	0.257	0.000	0.257
	योग		76.632	10.915	87.547	72.570	10.685	83.255

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 1553/भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 1/ अ-82/2016-17 चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - सोनकच्छ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	सोनकच्छ	14.786 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

**अनुसूची-2**  
**रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- सोनकच्छ**

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख0न0	रकबा	अर्जित रकबा
1	बैजनाथ पिता बालमुकुंद पाटीदार	13/1	1.938	0.613
2	मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार	13/2	1.756	1.012
3	मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार	12	1.299	0.950
4	मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार	11/2	2.085	1.324
5	गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार	11/3	1.315	0.873
6	गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार	10/3	2.326	1.232
7	गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार	8	0.117	0.011
8	गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार	9	1.135	0.748
9	अशोक पिता फूलसिंह ठाकुर	6	2.464	1.220
10	अशोक पिता फूलसिंह ठाकुर	7	0.186	0.024
11	बाबूलाल ओमप्रकाश आ. सूरजसिंह कलावती वि. सूरजसिंह कृष्णाबाई पु. सूरजसिंह ठाकुर	88,89,90,91,93/2	2.873	0.664
12	रघुवीर सिंह आ0 मांगीलाल ठाकुर	88,89,90,91,93/5	4.047	2.499
13	जगदीश सिंह पिता पन्नालाल ठाकुर	181/1/1	0.878	0.387
14	जगदीश सिंह पिता पन्नालाल ठाकुर	180/1	0.336	0.045
15	सुनील सिंह पिता राजेश सिंह ठाकुर	180/2/1	0.168	0.003
16	सुनील सिंह पिता राजेश सिंह ठाकुर	181/1/2/1	0.439	0.317
17	दीपक पिता राजेश सिंह ठाकुर	181/1/2/2	0.439	0.101
18	दीपक पिता राजेश सिंह ठाकुर	180/2/2	0.168	0.025
19	गोपाल आ0 लक्ष्मीनारायण देशवाली	184/1	1.683	0.562
20	अमर सिंह किंगरानी आ. आर . किंगरानी नि. भोपाल	184/2	1.694	0.489
21	उमराव आ. हरिराम बेडिया	186/6	0.484	0.011
22	सौरभबाई वि0 राधेश्याम, हरमजन, विष्णु आ0 राधेश्याम सुतार	186/7	0.971	0.730
23	गुलशन बोलानी आ. आर. बोलानी	186/4	1.492	0.638
24	रामदयाल आ. गंगाधर देशवाली	188/6/2	2.631	0.120
25	मेसर्स हाईस्कूल द्वारा अभय आ. बी. के. सक्सेना भोपाल	186/3	1.942	0.037
26	रामनाथ पिता गंगाधर देशवाली	188/6/1	2.630	0.150
		कुल अर्जित रकबा -		14.786

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक-1555/ भू अर्जन/2017 चूकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 7/ अ-82/2016-17 चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - बैरागढ खुमान के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	बैरागढ खुमान	11.252 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बैरागढ खुमान

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख0न0	रकबा	अर्जित रकबा
1	शांति बाई ववा नारायण सिंह, बद्रीप्रसाद आत्मज नारायण सिंह	304/3,305/1/3	3.237	0.734
2	शांती बाई पत्नि नारायण सिंह	307	0.902	0.561

3	बाबूलाल आत्मज शिवनारायण	243/5	0.615	0.089
4	बाबूलाल आत्मज पर्वत सिंह	308	0.417	0.011
5	बाबूलाल आत्मज पर्वत सिंह	305/2/1,306,589/306/1	0.405	0.091
6	बाबूलाल आत्मज भगवान सिंह	240/2/2	0.615	0.458
7	बालकृष्ण आत्मज गणेशराम	537/3	1.242	0.171
8	बालाप्रसाद आत्मज भंवरलाल	533/4,541,542	0.740	0.182
9	ममता बाई पत्नि भीमराज	291	1.407	0.069
10	महेश आत्मज बाबूलाल	240/2/1	1.885	0.457
11	महेश,सुरेश आत्मज दोलतराम	304,305/1/1	1.157	0.507
12	मांगीलाल आत्मज प्रमूलाल	242/3/1	1.011	0.713
13	मनोज आत्मज नन्दकिशोर	543/1,545,547	1.482	0.143
14	शिवनाराया आत्मज मूलचंद	256/2/3,2564/4/1,258/1/1,261/2/3, 263/2,267/2	6.840	2.240
15	हरीसिंह आत्मज मोतीलाल	242/3/3	1.214	0.322
16	भीमराज आ केवलराम	537/4	1.243	0.378
17	भारत सिंह आत्मज मोतीलाल	264/1	0.028	0.007
18	भारत सिंह आत्मज मोतीलाल	264/4	0.142	0.104
19	भारत सिंह आत्मज मोतीलाल	262,263/1/2	1.566	0.599
20	भारत सिंह आत्मज मोतीलाल	262/1/2,263/1/4	1.556	0.230
21	भारत सिंह आत्मज मोतीलाल	263/1/3/4	0.356	0.266
22	भगवानसिंह आत्मज भागीरथ	292/2,293/2	1.137	0.144
23	पर्वतसिंह आत्मज गिरधारी	305/2/2,306/589	0.243	0.092
24	रामेश्वर आत्मज लक्ष्मीनारायण	255/1/1,256/1/1,256/2/5/1	1.214	0.096
25	राजू आत्मज रामसिंह	238/2/2	0.607	0.123
26	रेखा बाई पत्नि मोर सिंह	304,305/1/2	1.149	0.140
27	ज्ञान सिंह आत्मज हजारीलाल	540/1	1.821	0.550
28	सचिन आत्मज नर्वदाप्रसाद	544	1.019	0.623
29	सचिन आत्मज नर्वदाप्रसाद	546	2.800	0.218
30	सोरम बाई पति ज्ञान सिंह	537/2	0.710	0.095
31	सोरम बाई पति ज्ञान सिंह	538/2	0.097	0.022
32	सुगन बाई पत्नि दोलतराम	302/1	0.324	0.090
33	सुगन बाई पत्नि दोलतराम	303/1	0.308	0.033
34	देवेन्द्र आत्मज नर्वदाप्रसाद	543/4,545,547	4.192	0.060
35	जगन्नाथ आत्मज लाडसिंह	303/2	1.271	0.614
36	लाडसिंह, अर्जुन सिंह, इनकसिंह आत्मज सुजानसिंह	538/1	0.073	0.020
		कुल अर्जित रकबा -		11.252



**भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।**

क्रमांक 1557/भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 8/ अ-82/2016-17 चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - बमूलिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में )	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	बमूलिया	21.374 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

#### अनुसूची-2

**रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बमूलिया**

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	10	1.850	0.772
2	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	4/1	1.214	0.077

3	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	4/3	1.420	0.359
4	फातमा बी वेवा हमीद अली, जहिद अली आत्मज हमीद अली	4/2	2.630	0.993
5	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	14/1	1.157	0.068
6	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	14/2	1.530	0.076
7	मकसूद अली, दूरशाद अली, अशफाक अली, वाहीद अली आ. इशाक अली, बन्नो बी वेवा इशाक अली, इसा, लाइवा, तमन्ना, सलमा पुत्रीया इशाक	3	1.230	0.232
8	मकसूद अली, इरशाद अली	2/1	2.481	0.556
9	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	15/2	0.360	0.149
10	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	15/3	0.809	0.071
11	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	15/4	0.372	0.018
12	कुंवर जी पुत्र हरीसिंह	16	1.522	0.606
13	दिलीप आत्मज मांगीलाल	183/2/4	0.207	0.018
14	दिलीप आत्मज मांगीलाल	183/1/4	0.113	0.047
15	ओमप्रकाश आत्मज रामलाल	157/4	0.284	0.195
16	विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, द्रोपती पत्नि विजय सिंह	157/3	0.571	0.043
17	ओमप्रकाश आत्मज रामलाल	158/5	0.214	0.185
18	विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, दोपती पत्नि विजय सिंह,	158/6	0.308	0.005
19	मांगीलाल आत्मज रामलाल	158/1	0.324	0.242
20	ओमप्रकाश आत्मज रामलाल	158/2	0.429	0.085
21	विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, द्रोपती पत्नि विजय सिंह	158/3	0.704	0.239
22	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	43	0.854	0.033
23	दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल	44/1	1.658	1.054
24	मांगीलाल, ओमप्रकाश आत्मज रामलाल	44/3	0.304	0.178
25	सोरम बाई पुत्री हरि सिंह पत्नी जसमत सिंह	42/1	1.109	0.025
26	सोरम बाई पत्नि जसमत सिंह	11/2,12	1.561	0.845
27	हरिसिंह आत्मज रामलाल	11/1,12	1.562	0.271
28	अवधनारायण आत्मज बापूलाल	208/1,209/1	1.619	0.653
29	भैयालाल आत्मज हरीनारायण	207	1.141	0.581

30	कृष्णा बाई वैवा बीरवल	202	1.145	0.451
31	रामलखन पिता राधेकिशन	204	0.061	0.050
32	रामलखन पिता राधेकिशन	203	1.574	0.076
33	रामचरण पिता कनीराम	177/1,178/1	1.619	0.162
34	रमेश, राजेन्द्र पिता रामचरण	177/2,178/2	2.521	0.014
35	बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल	185/1	0.247	0.112
36	बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल	185/2	0.247	0.102
37	केलाप्रसाद आत्मज शिवनारायण	186/3	0.125	0.125
38	बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल	186/1	0.040	0.030
39	बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल	186/2	0.040	0.037
40	केलाप्रसाद आत्मज शिवनारायण	187/2	1.250	0.626
41	भगवत वेवा वंशीलाल	187/3	1.214	0.177
42	दिलीप आत्मज मांगीलाल	187/1/1	0.974	0.725
43	जमना प्रसाद आत्मज नारायण सिंह	552/1	0.307	0.196
44	दयाराम आत्मज मोतीलाल	201/308/5	0.405	0.368
45	जमना प्रसाद आत्मज नारायण सिंह	304/1	1.728	0.189
46	प्रेमनाराया आत्मज पन्नालाल	302	0.910	0.005
47	विश्रामसिंह आत्मज कमलसिंह	201/4,308/4	0.466	0.127
48	निर्मल सिंह आत्मज जगन्नाथ	208/4,209	0.486	0.099
49	नवल सिंह पिता परसराम	201/3,308/3	0.779	0.086
50	चन्द्रप्रकाश, ज्वालाप्रसाद आत्मज गोविंदराम	210	0.777	0.146
51	विश्रामसिंह आत्मज जगन्नाथ	208/2,209	0.885	0.304
52	जानकी बाई पत्नि हीरालाल	558/2	0.769	0.033
53	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	558/1	1.474	0.049
54	बद्रीप्रसाद आत्मज हरीलाल	557/3	0.506	0.235
55	जानकी बाई पत्नि हीरालाल	557/9	0.170	0.128
56	बदीपसाद, प्रथीसिंह आत्मज हीरालाल	557/11	0.303	0.226
57	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	549/1	0.636	0.293
58	बद्रीप्रसाद आत्मज हरीलाल	547/1,547/2/2	0.850	0.233
59	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	547/1,547/2/1	0.392	0.158
60	जानकी बाई पत्नि हीरालाल	548	0.081	0.003
61	जानकी बाई पत्नि हीरालाल	680/549/1	0.121	0.069
62	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	680/549/2	0.121	0.121
63	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	550/1/2/ka	0.474	0.376
64	घनश्याम आत्मज छोटैराम	612/2	1.044	0.458
65	घनश्याम आत्मज छोटैराम	612/1	0.862	0.574
66	अशोक आत्मज रामस्वरूप	612/3	0.631	0.051
67	अशोक आत्मज रामस्वरूप	611	0.583	0.256
68	कमलसिंह आत्मज मोतीलाल	615/2	0.129	0.129

69	रामस्वरूप आत्मज कमल सिंह	616/2	0.477	0.350
70	कांताप्रसाद आत्मज कमल सिंह	616/1	0.473	0.223
71	रामनारायण आत्मज हीरालाल	615/1/1	2.427	0.964
72	गुलाब सिंह आत्मज हीरालाल	602/2	1.890	0.105
73	विश्राम सिंह आत्मज राधेश्याम	602/1	1.894	0.561
74	नंदलाल आत्मज जयराम	538/9, 601/9	0.955	0.058
75	प्रथीराम आत्मज हीरालाल	599/1	1.100	0.232
76	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	599/2	1.100	0.754
77	गेंदालाल आत्मज रामसिंह	609/2/2ka	0.283	0.030
78	सुरेश आत्मज रामसिंह	609/2/2kha	0.368	0.160
79	बापूलाल आत्मज भगवान	609/3	2.023	0.642
80	राजू आत्मज रामसिंह	613/2	0.332	0.087
81	सुरेश आत्मज रामसिंह	613/3	0.330	0.087
82	देवकीबाई पत्नि राधेश्याम	615/7	0.809	0.230
83	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	557/12	0.368	0.292
84	हीरालाल आत्मज झनक सिंह	557/8	0.649	0.324
		कुल अर्जित रकबा -		21.374

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1559/भू अर्जन/2017 चूकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2016-17 चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाइन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - बिछिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	बिछिया	11.686 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियोजना निर्माण हेतु

**अनुसूची-2**  
**रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बिछिया**

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख0न0	रकबा	अर्जित रकबा
1	नसरुखां आ. शकूर खान	420/1क	0.927	0.405
2	आयूब खान पिता शकूर खान	420/1ख	0.636	0.306
3	रहीसन बी पत्नि हबीब खां	401/3/1	0.401	0.251
4	लाईक खान भुरेखा आ. हबीब	401/4/1	0.906	0.532
5	रहीसन बी पत्नि हबीब खां	401/4/3	1.492	0.455
6	कल्लू खां आ0 फैज खां	509,401/1/1ग	0.337	0.030
7	रसीद खां आ. हमीर खां	509,401/1/1क	1.671	0.943
8	वहीदन बी पत्नि वहीद खां	509,401/1/1ड	0.068	0.017
9	वहीदन बी पत्नि वहीद खां	509,401/1/1/2	0.854	0.004
10	शफरुखा आ. आमिर खा	399/1	1.809	0.641
11	रसीद खां आ. आमिर खा	399/2	1.206	0.294
12	शफरुखा आ. आमिर खा	507/399/1	2.100	0.563
13	शफरुखा आ. आमिर खा	506/399	0.567	0.189
14	माधव बिहारी लाल आ. अवध बिहारी लाल	393/3	2.023	0.931
15	रफीक उर रहमान आ0 अल्ताफ उर रहमान	393/4	1.842	0.583
16	एजाज उर रहमान आ. अल्ताफ उर रहमान	393/11	1.455	0.247
17	भगवती पत्नी छोटेलाल	391/1/2क	0.704	0.160
18	कौशल्या पत्नी गणेशराम	391/1/2ख	0.700	0.070
19	प्रेमनारायण आ. तुलाराम	391/1/1	2.159	0.769
20	राजू, रामस्वरूप, भगवत आ0 मांगीलाल	384/6	2.347	0.550
21	जसमत सिंह आ. भवरजी	392/5/क	0.635	0.260
22	जसमत सिंह आ. भवरजी	392/1	0.987	0.835
23	भगवान आ. भवरजी	379/1,381,516/379/2/1/3	1.036	0.277
24	शिवचरण आ. हीरालाल	379/1,379/2,381,516,392/1	5.349	1.179
25	अवतार सिंह आ. शिवचरण	380/3	1.888	0.250
26	नर्मदा प्रसाद आ. लीला किशन	380/1/2	1.521	0.119
27	बने सिंह आ. लीला किशन	379/1/1,379/2,381,516/379/1/1	1.598	0.272
28	सोदान सिंह आ. लीला किशन	379/1/3,379/2,381,516/379/1/3	1.189	0.272
29	हेम सिंह आ. लीला किशन	379/1/2,379/2,381,516/379/1/2	1.594	0.272

30	नर्मदा आ. लीला किशन	379/1/4,379/2,381,516/379/1/4	0.113	0.010
		कुल अर्जित रकबा -		11.686

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1561/भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 3/ अ-82/2016-17 चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - दौराहा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	दौराहा	15.968 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- दौराहा

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	नवाब खां आ० मून्नू खां	531/1ख	1.416	0.332

2	शम्भू खां, लाल खां, छोटे खां, नवाब शहजाद खां आ० मून्नू खां	531/2	0.081	0.081
3	नवाब खां आ० मून्नू खां	531/1क	0.607	0.380
4	उल्फुत बी वेवा मुन्नू खां शहनाज बी पुत्री मुन्नी खां	542,543/1	1.821	0.124
5	अनवरी बी वेवा हसीन खां, वसीम खां, नसीम खां, अजीज खां, सलमान, इरफान आ० हसीन खां	542,543/2	2.023	1.406
6	शम्भू खां आ० मुन्नू खां	542,543/3	0.385	0.141
7	अश्विन रेड्डी आ. बीराम रेड्डी	541/1,558,559,560	1.303	0.247
8	मानसिंह आ० गोविंद देशवाली	544/2	0.979	0.171
9	मुकेश, राजेन्द्र बगेरा	544/1	1.408	0.112
10	मानसिंह आ० गोविंद	553/1क	0.704	0.300
11	प्रेमनारायण आ. गोविंद	554	0.235	0.008
12	प्रेमनारायण आ. गोविंद	588/1	1.408	0.367
13	घीसीलाल आ० बंशीलाल, सावित्री बाई पुत्री बंशीलाल	552/2	0.186	0.006
14	अजीज खां आ० गफुर खां पिंजारा	583,590,591,596/7ख	1.113	0.003
15	मुबारिक आ० हनीफ खां	593,591,596/8क	0.473	0.077
16	इमरान खां आ० रहीश खां	583,590,591,596/1	0.938	0.346
17	नौशाद खां आ० शरीफ खां	583,590,591,596/9क	0.943	0.694
18	इरशाद खां आ० शरीफ खां	583,590,591,596/10क	0.943	0.695
19	अजीज खां आ० गफुर खां	583,590,591,596/5	0.607	0.061
20	बालाप्रसाद आ० तुलसीराम	583,590,591,596/3	3.496	0.729

21	बबीता सिंह पत्नि विनोद सिंह	582/2/2	1.056	0.316
22	धीरज सिंह आ० सोभाग सिंह	599	2.318	0.096
23	धीरज सिंह आ० सोभाग सिंह	578/2,580,581	3.723	1.063
24	कमलेश आ० रामनारायण	733	0.308	0.112
25	कमलेश आ० रामनारायण	732/1	1.708	0.793
26	मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला	736/1	1.224	0.666
27	मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला	738/1	0.243	0.227
28	मोहम्मद निशार आ० अहसान उल्ला	737	0.437	0.004
29	मोहम्मद शरवर आ० अहसान उल्ला	739/2	0.313	0.155
30	मोहम्मद निशार आ० अहसान उल्ला	768	0.733	0.176
31	इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां	769	0.429	0.237
32	मनोहर आ० नन्नूलाल	708/1,714,713/2	0.708	0.072
33	इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां	905/770/2	1.440	0.513
34	हरिओम नाबलिंग आ० वृन्दावन संरक्षक सुरेश आ० रामचरण	708/2/6,713,714	0.688	0.128
35	इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां	905/770/1	2.667	0.171
36	हरिओम नाबलिंग आ० वृन्दावन संरक्षक सुरेश आ० रामचरण	707/1	0.113	0.113
37	मनोहर आ० नन्नूलाल	706/1	0.716	0.545
38	ओमप्रकाश आ० देवबगस	706/2	0.931	0.327



39	प्रमिला बाई वेवा रामकिशन संजय, राजेश, अविनाश, आ0 रामकिशन	706/3	0.931	0.371
40	रामसिंह आ. छोटे सिंह	704/1	2.233	0.676
41	छोटे सिंह आ. मुकुट सिंह	694	0.478	0.140
42	छोटे सिंह आ. मुकुट सिंह	695	0.817	0.278
43	अमरसिंह आ. रामप्रसाद	693/1/1	2.456	0.920
44	अमरसिंह आ. रामप्रसाद व अन्य पिलाट धारक	689,690/2	1.832	0.396
45	अजय कुमार आ0 ब्रजलाल	690/1/6	1.214	0.430
46	शमीम बी पत्नि रफीक खां हि. 1200 वर्गफीट अभिषेक आ0 वृन्दावन हि. 600 वर्गफीट	690/1/5	0.020	0.019
47	निर्मला बाई पत्नि अमरदास	690/1/3	0.202	0.092
48	निर्मला बाई पत्नि अमरदास	690/1/4	0.202	0.108
49	मुकेश आ0 रामकिशन	553/1 kha	0.7	0.480
50	घनश्याम आ0 देवबगस	707/2	0.271	0.064
		कुल अर्जित रकबा -		15.968

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1563/भू अर्जन/2017 चूकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 4/ अ-82/2016-17 चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - इमलिया हसन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	इमलिया हसन	11.133 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- इमलिया हसन

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	डी रामरेड्डी आ० पेच्ची रेड्डी	186/1	2.023	1.012
2	बाबूखा आ. जहाँगीर खा.	172-173/3	1.036	0.037
3	हामिद खा. आ. जहाँगीर खा.	174/1	0.421	0.061

4	सईद खां आ0 हलीम खां	178/2	0.506	0.434
5	अनीस खा. आ. हलीम खा.	178/3	0.494	0.016
6	सईद खां आ0 हलीम खां	160/4	0.247	0.174
7	खालिदा पुत्री मो. साबिर	160/3	0.242	0.019
8	अनीस खा. आ. हलीम खा.	180/1	0.604	0.033
9	शाहिदा पुत्री मो. साबिर	159/2	0.874	0.837
10	सईद खां आ0 हलीम खां	159/1	1.299	0.152
11	सईद खां आ0 हलीम खां	213	0.283	0.189
12	शाहिदा पुत्री मो. साबिर	142/2क, 214/1	1.035	0.605
13	रियाजउद्दीन आ0 रउफ शेख	215	0.514	0.339
14	सईद खां आ0 हलीम खां	141/2ख, 214/1,	0.121	0.075
15	हलिमन बी. बि. रुडे खा. कलिमन गफूरन समीरन पुत्र रुडे खा.	223	0.174	0.164
16	हामिद खा. आ. रुडे खा.	141/1, 214/2, 214/3/2	1.542	0.300
17	मुन्नू खा. उर्फ रहिस खा. आ. रुडे खा.	138, 139, 140, 222, 224, 225/4	1.356	0.560
18	कमरुनबि बि. छोटे खा. साबिर शाहिद जाहिद आबिद आ. छोटे खा.	138, 139, 140, 222, 224 225/5	1.541	0.134
19	रशीद खां आ0 रुडे खां	138, 139, 140, 222, 224, 225/3	1.541	0.886
20	अ. हफीज आ. याकूब खा.	131/1	0.506	0.158
21	नवी खां आ0 मुनवर खां, छोटेखां, मुस्ताकखां, आ0 यासिन खां, मलुकीबाई, सूखीबाई पुत्री यासिन खां	132, 146/3	1.14	0.380
22	रमजानी खां आ0 मोती खां, नाथीबाई, इमामनबाई, कल्लोबाई जैतूनबी पुत्री मोतीखां	130-131/2	0.158	0.147
23	अ. हफीज आ. याकूब खा.	126	3.209	1.462
24	अ. अजीज आ. अजीज	132, 146/4	0.917	0.020
25	सईद खा. आ. हलीम खा.	160/5	3.812	0.120
26	खालिदा पुत्र मो. साबिर	179	1.692	0.881
27	अनीस खां आ0 हलीम खां	178/1	1.537	0.537
28	रमजानी खा. आ. मोती खा.	135-136/1	2.108	1.121
29	शाबरा बी. वि0 बाबू खां	128/2	2.197	0.280
		कुल अर्जित रकबा --		11.133

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1565/भू अर्जन/2017 चूकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 2/ अ-82/2016-17 चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - झरखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	झरखेडा	25.938 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियोजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- झरखेडा

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	महेंद्र आ० किशनलाल	698/1/4/1/4	2.023	1.523
2	रामेश्वर आ० बाबूलाल	698/1/4/1/3	2.549	0.648
3	दीपा पत्नि विष्णुप्रसाद	698/1/4/1/2	2.553	0.358
4	विष्णुप्रसाद आ० गंगाप्रसाद	698/1/4/1/1	2.549	0.079
5	सरजूबाई पत्नि नाथूराम	697/3/4/2	1.011	0.172
6	रत्नफ खां आ० लतीफ खां	698/1/2/5	1.012	0.578
7	राजा खां आ० लतीफ खां	698/1/2/6	1.012	0.500
8	इमरतसिंह आ० गोपाल	690	3.549	1.315

9	पर्वतसिंह आ० गोर्धन	689	4.043	0.457
10	इमरतसिंह आ० गोपाल	698/1/2/2	1.011	1.012
11	कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद	691/1	0.607	0.333
12	मोहन आ० इमरतसिंह	691/2	0.287	0.264
13	कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद	691/3	0.405	0.309
14	सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह	691/4	0.708	0.614
15	सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह	691/5	0.405	0.276
16	महेंद्र आ० दिनेश पाटीदार	687	0.615	0.219
17	सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह	693/2	0.048	0.007
18	कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद	694/1	0.506	0.001
19	मुकेश आ० मांगीलाल	684,685,686/1	1.983	1.731
20	सिद्धनाथ आ० नन्लाल	684,685,686/3	1.327	0.408
21	रामचरण आ० गंगाराम	684,685,686/2	1.947	0.054
22	कौशल्यादेवी पुत्री भगवानसिंह	678/1	0.685	0.655
23	नानीबाई बेबा धूलजी	678/3	2.023	0.501
24	नंदकिशोर आ ब्रजलाल	678/6/3	0.655	0.522
25	नंदकिशोर आ ब्रजलाल	678/2/4	0.357	0.202
26	ब्रजलाल आ गुदटीलाल	678/2/1	1.152	0.505
27	अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन	680/1	1.481	0.494
28	अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन	680/2	1.619	0.003
29	अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन	679/7	0.154	0.112
30	अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन	679/6	0.150	0.005
31	अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन	679/5	0.405	0.188
32	गंगाबाई पिता मांगीलाल	268/3	1.489	0.618
33	चंदाबाई पत्नि कामताप्रसाद	265	1.193	0.180
34	कामताप्रसाद आ० मांगीलाल	266/1	0.748	0.175
35	रामचंद्र आ० मांगीलाल	256,257/1/1	1.820	1.023
36	मांगीलाल आ सालगराम	258,259,260/1	1.048	0.058
37	ओमप्रकाश आ० मांगीलाल	258,259,260/2	0.870	0.363
38	रामनारायण आ० मांगीलाल	258,259,260/4	0.757	0.044
39	मांगीलाल आ सालगराम	258,259,260/3	2.388	0.551
40	मांगीलाल आ सालगराम	247,261/1	0.862	0.215
41	रामनारायण आ० मांगीलाल	247,261/6	0.526	0.082
42	रमेश आ नारायणसिंह	243/2/1	3.857	0.738
43	कैलाश आ नारायणसिंह	243/2/2	1.526	0.290
44	सिकंदर मो० खान आ० अनवर मो० खान	243/2/3	0.605	0.384
45	अनवर मो० खान आ० एम एम खान	243/2/4	0.605	0.415
46	हर्षित आ० आर.के. गुप्ता	243/1/2	0.032	0.032
47	बिलाल आ नासीर हुसैन	244/1	0.537	0.331
48	बिलाल आ नासीर हुसैन	245/1/1	0.537	0.088
49	कर्नल अली आ मुस्ताक अली	240/2/2	0.154	0.101
50	फयूजन इंफ्रा इस्ट्रक्चर प्राय० लिमि०	240/15	1.315	0.101

51	उषा पत्नि हरिवंश मित्तल	240/5	2.893	0.838
52	मो० जमील, अ० अजीज, शकील अहमद आ० जहूर मो०, रईसा बेगम पत्नि अ० अजीज, नाजिरा बेगम पत्नि मो० जमील, रिजवाना पत्नि शकील	240/7	1.522	0.241
53	ज्योति पत्नि संजय नाहर	240/12	0.283	0.089
54	ज्योति पत्नि संजय नाहर	240/13	1.137	0.195
55	ज्योति पत्नि संजय नाहर	240/14	1.405	0.244
56	नंदकिशोर आ० हरिप्रसाद	240/10	1.473	0.188
57	अमरसिंह आ० हरिप्रसाद	240/3	1.473	0.190
58	भूपेंद्र कौर पत्नि गुरुवचन सिंह	240/11	1.213	0.181
59	नीता पत्नि कविंदर सिंह	240/9	0.405	0.036
60	हिरदेश आ० दुर्गाप्रसाद	240/18	0.991	0.464
61	सीमा पत्नि नरेंद्र	238,239/2	0.268	0.154
62	सीमा पत्नि नरेंद्र	237/3ग	0.351	0.136
63	सलीम खां आ० नूर मों	237/3क	0.405	0.300
64	बाबू खां आ० मोर खां	237/3ख	0.295	0.012
65	आदिल परवेज आ० सलीम परवेज	237/7	1.214	0.772
66	सईद खां आ० मोर खां	237/1 क	1.454	0.511
67	सिद्धनाथ आ० नन्नूलाल	236/5	1.214	0.256
68	राहुल आ अशोक, राजकुमार आ० सतीश	236/4	0.405	0.274
69	नर्बदाप्रसाद आ० देवकरण	235/1	1.725	0.273
70	साउद खां आ० अहमद खां एवं अन्य प्लाट धारक	235/2	1.011	0.510
71	इनामउल्ला आ० खैरउल्ला एवं अन्य प्लाट धारक	785/232/1	0.672	0.242
		कुल अर्जित रकबा -		25.938

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1567/भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 9/ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - सतपोन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	सतपोन	1.445 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- सतपोन

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	राधा अग्रवाल पति कैलाश अग्रवाल	72/1/2	1.789	1.445

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रमांक 1569/भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 6/ अ-82/2016-17 चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम - श्यामपुर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में )	
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	26.050 है०	रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

### अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- श्यामपुर

क्रमांक	नाम भूमिस्वामी	ख०न०	रकबा	अर्जित रकबा
1	भगवान सिंह आ० लीलाकिशन	746,749,750/751/2	2.023	0.352



2	शिवनारायण आ० लीलाकिशन	746,749,750,751/1ख	1.214	0.283
3	शमशाद बेगम मो० सलीम	746,749,750,751/1/क/1	2.428	0.752
4	महेश कुमार आ० भंवरलाल	744/2	2.315	0.501
5	गीता देवी पत्नि छोटे सिंह	747/3	0.413	0.218
6	रवि सिंह आ० छोटे सिंह	748/1	0.214	0.050
7	शमशाद बेगम पत्नि मो० सलीम	744/1	2.315	0.215
8	शुभम, अंकित आ० प्रेमनारायण	743/2	1.619	0.716
9	अयोध्या बाई पत्नि देवबगस	743/1	0.405	0.323
10	गीता देवी पत्नि छोटे सिंह	747/2	0.413	0.050
11	आशाक अली आ० इददू शाह	732/5	0.273	0.115
13	आशाक अली आ० इददू शाह	740/2ख	0.972	0.044
14	सहादक अली आ० इददू शाह	732/4	0.274	0.154
16	छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह	715/1	0.308	0.162
17	छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह	715/2	0.081	0.024
19	श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज	718	0.348	0.230
20	श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज	719	4.755	0.995
21	श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज	722 - 729	4.864	1.107
22	छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह	715/3	0.308	0.019
23	घनश्याम आ० कनीराम	721/3	1.433	0.470
24	सुनील कुमार आ० शिवनारायण	723	0.453	0.118
25	विनोद कुमार आ० भंवरलाल	720/2	1.805	0.894
26	मोहम्मद आ० सुबराती खां	724/3क	0.462	0.406
27	मोहम्मद आ० सुबराती खां	724/2	0.466	0.446
28	घनश्याम आ० कनीराम	703,704/9	1.595	1.055
29	देवीलाल आ० नारायण सिंह	703,704/5	2.670	0.522
30	दिनेश कुमार आ० कनीराम	703,704/6	1.214	0.510
31	देवीलाल आ० नारायण सिंह	556/8	0.081	0.025
32	अभय सिंह आ० नाथुसिंह	556/12	0.336	0.127
33	अभय सिंह आ० नाथुसिंह	556/17	0.506	0.253
34	अभय सिंह आ० नाथुसिंह	556/15	0.706	0.163
35	विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह	556/14	0.696	0.245
36	विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह	556/13	0.673	0.245
37	विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह	556/1	0.405	0.163
38	अभय सिंह आ० नाथुसिंह	555/3ख	0.676	0.396
39	सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा	554/2	0.481	0.250
40	नाशीर खां आ० मुनब्वर खां	548/4	0.851	0.193
41	दिनेश आ० शिवसिंह	548/1/3	1.107	0.243

42	सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा	557,558/1	1.336	0.241
43	नाशीर खां आ0 मुनब्वर खां	548/2	0.457	0.275
44	अरविंद कुमार आ0 रूपसिंह	548/3	0.457	0.136
45	दिवान सिंह आ0 दरियाव सिंह	548/7	0.554	0.263
46	अमरसिंह आ0 शिवसिंह	548/1/1	1.106	0.203
47	सुरेश, प्रीतम आ0 भागीरथ	548/5	1.093	0.971
48	नौशाद अली आ0 इब्राहिम अली	548/6	1.148	0.853
49	नौशाद अली आ0 इब्राहिम अली	533,547/2	1.214	0.243
50	सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा	533,547/1	2.598	0.023
51	जरीना बी पत्नि नौशाद अली	533,547/3	2.362	1.143
52	मोहन सिंह आ0 रघुनाथ सिंह	529,530,531,916/512/6	0.202	0.017
53	रघुवीर सिंह आ0 रघुनाथ सिंह	529,530,531,916/512/5	0.668	0.080
54	समंदर सिंह आ0 रघुनाथ सिंह	529,530,531,916,512/4	0.574	0.153
55	गोपाल सिंह आ0 अर्जुन सिंह	532/4	0.397	0.060
56	गोपाल सिंह आ0 अर्जुन सिंह	917/918/511/13	0.542	0.468
57	रशीद खां वसीर खां	918/511/2	0.522	0.206
58	मधु पत्नि धनराज सिंह	511/12	0.591	0.210
59	ठाकुर प्रसाद आ0 घीसीलाल	920/535	0.987	0.336
60	बालाप्रसाद आ0 सीताराम	511/9ख	0.405	0.304
61	धनराज आ0 बाबूलाल	913/507/2	0.551	0.310
62	शांति बाई पत्नि रामचंद्र	506/6	0.28	0.075
63	धापू बाई पत्नि सीताराम	506/3	0.809	0.233
64	रवि आ0 रामचंद्र	506/4	1.291	0.572
65	राधेश्याम आ0 बाबूलाल	506/2	2.857	0.318
66	बाबूलाल आ0 भंवरजी	506/5	1.007	0.194
67	समीम बी पत्नि रफीक खां	500/1ग	0.809	0.141
68	मनोहर, अजबसिंह, कुमेर सिंह आ0 भगवान सिंह	500/1क	1.287	0.898
69	ललता प्रसाद आ0 बट्टूलाल	500/2	2.529	0.201
70	कृष्णा बाई पत्नि दिनेश	489/2क	1.286	0.320
71	नारायण सिंह आ0 मोहनलाल	490	0.938	0.470
72	धापू बाई पत्नि रामचंद्र बगैरा	491	2.618	1.350
73	नारायण सिंह आ0 मोहनलाल	447/2	1.787	0.120
74	छोटे सिंह आ0 मुकुट सिंह	741,742/1	0.802	0.324
75	सलीम खां आ0 नूर खां	746,749,750,751/1क/2	0.522	0.160

76	नारायण सिंह आ० मोहनलाल	489/1	1.138	0.312
77	रामकृष्ण आ० कैलाश चंद्र	489/2ख	4.856	0.009
78	धापू बाई पत्नि सीतराम	913,507/3	0.692	0.171
79	पर्वत सिंह आ० अर्जुन सिंह	511,917,918/11	0.546	0.222
80	शांति बाई पत्नि रामचंद्र	561/19	0.526	0.407
81	महेश आ० कनीराम	721/1	1.619	0.024
		कुल अर्जित रकबा -		26.050

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली जिला रायसेन (म. प्र.)

क्रमांक 3724/भू-अर्जन/2017

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - चिल्ली

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चिल्ली	रामसिंह आ. इंदर सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	109/1	5.160	0.160	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की शाहपुरा माईनर नहर हेतु

2	चिल्ली	बलीराम आ. गोविन्दी जाति कुटवार निवासी ग्राम भू स्वामी	106	0.393	0.038		
3	चिल्ली	परषोत्तम, गुड्डी वाई आ. नन्हेलाल, मुन्नीवाई वेवा कमल सिंह, नीलेश आ. कमल, जीतेन्द्र प्रकाश वाई व सीतावाई ना.वा. आ. कमलसिंह संरक्षकर माँ मुन्नीवाई जाति गौड़ निवासी भू स्वामी	105/2	2.925	0.126		
4	चिल्ली	वंशी वैनीसिंह, रूकमन आ. विश्राम व हल्की वाई वेवा विश्राम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	104/2	1.113	0.117		
5	चिल्ली	बृजराज आ. घनश्याम दास व्यास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	102/2 97	5.496 0.753	0.275		
6	चिल्ली	कृष्णकांत आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	14/3	4.047	0.183		
7	चिल्ली	मुकुन्द दास आ. गोवर्धन दास व्यास जाति ब्रा. निवासी ग्राम उदयपुरा भू स्वामी	13/2 11/2	1.466 4.976	0.276		
8	चिल्ली	श्रीकांत आ. गोवर्धनदास व्यास जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भू स्वामी	11/1	6.448	0.187		
9	चिल्ली	घनश्याम दास आ. वालकिशनदास जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भू स्वामी	2/2	5.750	0.084		

क्रमांक 3725/भू-अर्जन/2017

दिनांक 26 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो

तों नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर)में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – शहपुरा

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहपुरा	सुरेन्द्र सिंह आ. वीरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	14/3/1	1.214	0.140	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की शहपुरा माईनर नहर हेतु
2	शहपुरा	जयश्रीवाई वेवा चूरामन सिंह, विक्रम सिंह, भवानी शंकर, अंबिका, किरण, मधुवाई, प्रेरणा वाई पुत्री चूरामनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	14/2	1.416	0.148		
3	शहपुरा	ईश्वर सिंह आ. पंचम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	35/2/1/1	1.855	0.128		
4	शहपुरा	जय कुंवर वाई पुत्री भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरा भू स्वामी	35/2/2 34	0.405 3.614	0.119		
5	शहपुरा	जुझार सिंह आ. संपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	41/1/1	1.202	0.089		
6	शहपुरा	विष्णु सिंह आ. छतरसिंह, पर्वत सिंह, दिलीप सिंह, अतरसिंह, हरनामसिंह आ. हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	41/2	3.504	0.020		
7	शहपुरा	हल्के भैया आ. मुल्ली राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	42/2	1.603	0.204		
8	शहपुरा	गजराज सिंह आ. जशरथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	50 49/1	2.695 2.351	0.260		
9	शहपुरा	सत्यभान सिंह आ. जशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	49/2	2.646	0.053		
10	शहपुरा	ऋषिराज सिंह आ. जशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	49/3	2.967	0.202		

11	शहपुरा	इन्द्रपाल सिंह आ. भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	72/1	1.319	0.045		
12	शहपुरा	विजय सिंह आ. रामप्रसाद जाति राजपूत निवासी बरेली कृषक ग्राम भू स्वामी	71	4.160	0.125		
13	शहपुरा	रविन्द्र प्रताप सिंह आ. प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरा कृषक ग्राम भू स्वामी	72/2/1	1.214	0.109		
14	शहपुरा	हरपाल सिंह आ. प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	72/3/1	1.214	0.128		
15	शहपुरा	लीलावति वेवा मेहरवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	70/1/2	1.781	0.024		

प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - सेमरिया खुर्द

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेमरिया खुर्द	नारायण सिंह आ. बरेवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	80/1/2	1.121	0.109	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाडी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की सेमरिया माईनर नहर हेतु
2	सेमरिया खुर्द	केशव सिंह आ. गजराजसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	80/3/1	1.619	0.089		

3	सेमरिया खुर्द	दिलीपसिंह आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम आंवरिया भू स्वामी	80/3/2	1.619	0.073		
4	सेमरिया खुर्द	रामभरोसे आ. दादूवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	80/5/1	3.866	0.049		
5	सेमरिया खुर्द	रामस्वरूप आ. दादूवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	80/5/2	3.861	0.158		
6	सेमरिया खुर्द	लालसिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति किरार निवासी मिपलिया पुआंरिया भू स्वामी	87/1	3.546	0.027		
7	सेमरिया खुर्द	नन्हेवीर आ. धन्नुलाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	88/2 89/1/1/4	0.809 0.809	0.096		
8	सेमरिया खुर्द	रामदीन आ. फूलसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	89/1/1/3 89/1/1/2	1.319 1.319	0.109		

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2017

फा. क्र. 4406-इक्कीस-ब-(दो)-2017.—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश, इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारी श्री लक्ष्मीनारायण सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा. क्र. I-1-2002-4463-2017-इक्कीस-ब(एक)—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशांसा दिनांक 26 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर (म. प्र.) का त्याग पत्र दिनांक 23 सितम्बर 2017 अपसह से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वागी, सचिव

## कार्यालय, कलेक्टर छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 12081-भू-अर्जन-2017

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ-22/2/2016-2017/ल0सि0/31/1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राकलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

## 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-घानाउमरी, ब.नं-144, प.ह.नं.-68, रा.नि.म.-दमुआ	रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण



2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 12082-भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/2/2016-2017/ल0सि0/31/1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बम्हनीरैयत, ब.नं-29, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-दमुआ,	रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 12083-भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/2/2016-2017/लोसि0/31/1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्राक्कलन इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उपरोक्त प्राक्कलन परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बेलगांवमाल, ब.नं-410, प.ह.नं.-74, रा.नि.म.-दमुआ	रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 12084-भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/2/2016-2017/ल0सि0/31/1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-आंकिया, ब.नं-11, प.ह.नं.-72, रा.नि.म.-दमुआ,	रकबा 09.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 12085-भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/2/2016-2017/ल0सि0/31/1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

#### अनुसूची

##### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बम्हनीमाल, ब.नं-363, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-दमुआ,	रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा	खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन,  
क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म. प्र.)

क्रमांक अ.मं.-विठे-निरस्ती-2017-18-2997-मु.अ.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

#### आदेश

म0प्र0 अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञापितियाँ निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचिया संलग्न हैं -

- 01- विनियम 26 (2) के तहत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञापित स्वतः निरस्त हो चुकी है। अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति / परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है। संलग्न सूची क्रमांक-(1) वि.ठे. संख्या-131
- 02- विनियम, 29 के तहत दिनांक 30-06-2017 तक आगामी वर्ष अवधि 2017-19 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञापित का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञापित स्वतः निरस्त हो चुकी है। अतः दिनांक 01-01-2017 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति / परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है - संलग्न सूची क्रमांक-(2) वि.ठे. संख्या-119
- 03- सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञापित स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है। अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है। संलग्न सूची क्रमांक-(3) वि.ठे. संख्या-43

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ए. के. दुबे, सचिव.

**पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त**

क्र.	विद्युत ठेकेदार का नाम व पता	कार्य छोड़ने का दिनांक	ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक
1	श्री विवेक सांखला, मेसर्स सांखला इलेक्ट्रिकल, सांखला भवन 112, नई सड़क, उज्जैन (म.प्र.)	14.12.2016	18/1325 'अ'
2	मेसर्स सेनफिल्ड (इण्डिया) लिमि., 13 'अ' सेक्टर-डी इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	08.04.2016	28/1584 'अ'
3	श्री अब्दुल गनी खान, 7/12 नफीस मंजिल अमरपुरा, उज्जैन (म.प्र.)	31.05.2016	18/1932 'अ'
4	श्री हरीश कुमार जैन, एस.के. काम्पलेक्स सुर्जेवाला मोहल्ला, दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.)	31.01.2017	03/1942 'अ'
5	श्री शैलेन्द्र अग्रवाल आ. श्री अशोक अग्रवाल 278 पुरानी गल्लामंडी, गुना (म.प्र.)	20.08.2016	06/1995 'अ'
6	श्री राजेन्द्र कुमार जैन सुभाष बाड़ा, दानाओली लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)	22.09.2015	03/2029 'अ'
7	मे. ए 2 जेड मेंटीनेस एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि. डी-116 फस्ट पलोर, शॉपिंग माल अर्जुन मार्ग डी.एल.एफ सिटी फेज-1, गुडगांव (हरियाणा)	21.01.2016	US/2278 'अ'
8	श्री ओमप्रकाश शर्मा, ग्राम-चौकी, तह. एवं जिला-भिण्ड (म.प्र.)	20.12.2016	02/2476 'अ'
9	श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम-बीनागंज तह.-चाचोड़ा रेस्ट हाउस रोड, बीना गंज जिला-गुना (म.प्र.)	10.05.2016	06/2916 'अ'
10	मेसर्स आर.डी. एसोसिएट्स, मेन रोड बिलोंजी, बैदन, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	10.08.2015	15/3069 'अ'
11	मेसर्स प्रियंका इन्टरप्राइजेस, प्रो. अशोक जैन 63 खारीवाल कालोनी जावरा जिला-रतलाम (म.प्र.)	03.02.2016	17/3247 'अ'
12	श्री शिवकुमार भारद्वाज आ. श्री बनवारीलाल भारद्वाज एस.एफ.-2 दुर्गा कालोनी, गरम सड़क मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)	30.01.2017	03/3295 'अ'
13	श्री शकूर मोहम्मद आ. श्री नूर मोहम्मद म.नं. 130 हाता रूस्तम खां श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	31.01.2017	28/3341 'अ'
14	विजय प्रकाश तिवारी आ. श्री चतुर्भुज तिवारी म.नं. 24 कुंदन नगर ग्वालियर (म.प्र.)	18.12.2016	03/3562 'अ'
15	श्री दिग्विजय सिंह, पो. देव एन्टरप्राइजेस लक्ष्मी मार्केट जयन्त जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	15.07.2016	15/3602 'अ'
16	श्री वेदप्रकाश शर्मा आ. श्री मुन्नालाल शर्मा फतेहचंद कालोनी, सबलगढ़ जिला-मुरैना (म.प्र.)	01.04.2016	01/3728 'अ'
17	मेसर्स श्री बालाजी एण्ड कंपनी, प्रो. पवन कुमार निगोती, गणेश चौक, कच्ची गली, वार्ड -12, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)	05.09.2016	05/3743 'अ'



पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

18	मेसर्स देव श्री इन्टरप्राइजेस, ए-35 विष्णु मंदिर मार्केट छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.)	30.06.2016	05/3758 'अ'
19	श्री फिरोजखान आ. श्री अब्दुल वहीद खान मोहल्लापुरा, जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	30.11.2016	31/3785 'अ'
20	श्री चन्दरसिंह राजपूत आ. श्री रतनसिंह राजपूत ग्राम-कल्याणपुर, सारंगपुर जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	31.03.2016	31/3847 'अ'
21	श्री संतोष रघुवंशी, जेल रोड विदिशा (म.प्र.)	15.05.2016	27/3922 'अ'
22	श्री अभिषेक कौशल आ. श्री दूलनदास कौशल निवासी-62 शंकरगंज जिन्सी तह. व जिला-इन्दौर (म.प्र.)	31.03.2016	23/3995 'अ'
23	श्री एस.परवेज एहमद म.नं. 3 जोगीपुरा बुधवारा, भोपाल (म.प्र.)	31.03.2016	28/4023 'अ'
24	मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेस, ए-201 एवं ए-209 बुमरंग काम्पलेक्स चादवली फर्म रोड अंधेरी (पू.) मुम्बई (महा.) 400072	01.08.2016	US/4055 'अ'
25	श्री मुकेश पटेल आ. श्री रामचन्द्र पटेल निवासी मुकाम पोस्ट-खारकला, तह.-खालवा जिला-खण्डवा (म.प्र.)	जुलाई-15	25/4072 'अ'
26	मेसर्स शिवम बिहारी एनर्जी प्रो. प्रदीप ढिमोले मण्डी काम्पलेक्स गाडरवाड़ा जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)	15.10.2016	35/4079 'अ'
27	श्री हर्षवर्धन दुबे एफ-11 श्रीनगर कालोनी मण्डलेशवर, तह.-महेश्वर जिला-खरगौन (म.प्र.)	25.01.2017	24/4081 'अ'
28	मेसर्स स्मृति इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रो. स्मृति गर्ग 90/1 नवानीपुर कालोनी, इन्दौर (म.प्र.)	31.05.2016	23/4083 'अ'
29	श्री परमाल सिंह यादव पो. गहौरा, तह. ईसागढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.)	25.05.2016	19/4096 'अ'
30	श्री दिलीप गोयल प्रो. उजाला ट्रेडर्स, न्यू ब्लॉक बालनिकेतन स्कूल के सामने शिवपुरी (म.प्र.)	30.11.2015	05/4100 'अ'
31	श्री मुन्नालाल खान आ. मो. इस्माईल खान तारवाली छोटी मस्जिद के पास अशोकनगर (म.प्र.)	05.09.2016	19/4108 'अ'
32	श्री सुनील कुमार यादव, रायल सिटी म.नं. 287 विदिशा (म.प्र.)	14.12.2016	27/4149 'अ'
33	मेसर्स शक्ति रेफ्रिजरेटर्स वर्क्स, मेन रोड, सिंगरोली (म.प्र.)	11.03.2016	15/4215 'अ'
34	श्रीमति अनिता यादव पत्नी जयप्रकाश यादव ग्राम व पो. बरखेड़ा तह. ब्यावरा, जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	28.09.2016	31/4224 'अ'
35	मेसर्स सिटिलूम इण्डिया प्रा. लि. ई-2 प्रथम तल-डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली (उ.प्र.)	25.10.2016	US/4373 'अ'

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

36	मेसर्स सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. भोपाल इन्दौर बायपास चौराहा, पुलिस चौकी के पीछे परमधाम आश्रम के पास ब्यावरा जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	18.11.2016	31 / 4382 'अ'
37	श्री सोनेश्वर कुमार शर्मा आ. श्री रामस्वरूप शर्मा, वार्ड नं. 10 अगंद गली, पचबीधा मार्ग जौरा जिला-मुरैना (म.प्र.)	27-12-2016	01 / 4400 'अ'
38	श्री भारत सिंह सोराष्ट्रीय आ. श्री रमेशचन्द्र सोसायटी म.नं. 44 ग्राम पाडल्यामाता तह.-सारंगपुर जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	30.08.2016	31 / 4448 'अ'
39	श्री अमरसिंह कुशवाह प्रो. में. कुशवाहा इलेक्ट्रिक वर्क्स सूबे की गोट ग्वालियर टांकीज के पास, लश्कर जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	11.03.2016	03 / 4531 'अ'
40	मेसर्स सूर्या जी.एस.इन्टरप्राइजेस, बंगलो नं. 19, जे. के. एंजिल स्कूल सी.आर.पी.एफ रोड नीमच (म.प्र.)	31.03.2016	21 / 4553 'अ'
41	श्री दिनेश राजौरिया, 06 काला पत्थर, इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.)	01.08.2015	18 / 4584 'अ'
42	श्री आकाश यादव आ. श्री अशोक कुमार यादव, 71 निजातपुरा, नजर अली मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)	11.06.2016	18 / 4612 'अ'
43	श्री एम.एस.खान, 4 जवाबित लाईन, लिली सिनेमा के पास, भोपाल (म.प्र.)	06.04.2016	28 / 4622 'अ'
44	श्री हिमांशु शिन्दे, आ. श्री सुभाष शिन्दे 23/महाकाल रोड, गली नं. 1, उज्जैन (म.प्र.)	15.12.2016	18 / 4651 'अ'
45	मेसर्स एडिशन पावर ट्रान्समिशन कंपनी, प्रो. मो. आसिफ खां, वार्ड नं. 4 म.नं. 193 बरेली, जिला-रायसेन (म.प्र.)	30.04.2016	26 / 4665 'अ'
46	मेसर्स भास्कर रिसोर्सस प्रा. लि., एम.आई.जी.-36 सेंकड फ्लोर, चरमास के बगल में हैदरनगर, हैदराबाद (आ.प्र.) 500085	26.04.2016	US / 4706 'अ'
47	श्री रितेश शर्मा, सी-92 श्रीनगर कालोनी मण्डलेश्वर, जिला-खरगौन (म.प्र.)	10.05.2016	24 / 4723 'अ'
48	श्री योगेन्द्र सिंह राठौर आ. श्री घनश्यामसिंह, 97 वार्ड नं. एन. 07, ग्राम-गुन्दीकला आगर मालवा जिला-आगर (म.प्र.)	30.04.2016	30 / 4747 'अ'
49	मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण. (उज्जैन) प्रा. लि. 116 डिवाईन वैली, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.)	31.03.2016	18 / 4751 'अ'
50	श्री राजेश चतुर्वेदी, ग्राम/पोस्ट-मौहरिया, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र.)	14.07.2015	13 / 4760 'अ'
51	श्री अमित तोमर आ. श्री एल.एस.तोमर म.नं. 199 आई.टी.आई. रोड, होशंगाबाद (म.प्र.)	24.12.2016	32 / 4778 'अ'

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

52	श्री इमरान मिर्जा आ. श्री युसुफ मिर्जा पुजा स्टेट-बी बड़वानी तह.व जिला-बड़वानी (म.प्र.)	30.08.2016	40 / 4794 'अ'
53	श्री पंकज कुमार गुप्ता, एन.-6 अमलतास कालोनी, गोले का मंदिर रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	14.07.2016	03 / 4845 'अ'
54	श्री अशोक सिंह चन्देल आ. श्री सुशील सिंह चन्देल द्वारा केशव प्रताप सिंह ग्रा.पो. मौहार थाना कोठी, जिला-सतना (म.प्र.)	24.10.2016	12 / 4865 'अ'
55	मेसर्स एच.पी.कन्सल्ट्रक्शन, प्रो श्री प्रतीप सक्सेना शिक्षक कालोनी, कुरावर तह.-नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	20.10.2016	31 / 4879 'अ'
56	मेसर्स प्रितिसन इन्फ्राटेक लि., 7 / सी / डी सूर्यस्थ पंचवटी एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380006	12.08.2016	US / 4890 'अ'
57	श्री जुगल किशोर नागर, 121 ग्राम-कमेड तह. व जिला-उज्जैन (म.प्र.)	28.11.2016	18 / 4895 'अ'
58	मेसर्स दासा इन्फ्रा सिस्टम प्रा.लि. नं. 230 / 4 अन्फुइल्लम कोयम्बतूर रोड, अन्ना नगर पल्लडम तिरुपुर, तमिलनाडू 641664	30.01.2017	US / 4908 'अ'
59	मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेस, प्रो. लखनलाल पटेल, बरेली जिला-रायसेन (म.प्र.)	02.11.2016	26 / 4913 'अ'
60	श्री आशीष सिंह खिची आ. श्री तवंर सिंह खिची, ग्राम-कलमा तह.-टोकखुर्द, जिला-देवास (म.प्र.)	20.01.2017	20 / 4935 'अ'
61	मेसर्स एस.आर.के. इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री मो. शावर हा.नं. ए-1040 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, करोंद, भोपाल (म.प्र.)	29.03.2016	28 / 4941 'अ'
62	मेसर्स आर.एण्ड आर. कन्सल्ट्रक्शन, प्रो. श्री रोमी सिसोदिया 46 अशोक बिहार, नगरनिगम कालोनी, भोपाल (म.प्र.)	26.12.2016	28 / 4945 'अ'
63	श्री के.बी.एस.इलेक्ट्रिकल्स, 3-4 प्लॉट नं. 10 दीपा अपार्टमेंट आई.पी.सबस्टेशन दिल्ली-92	24.02.2016	US / 4946 'अ'
64	मेसर्स आदित्य मेगा एसोसिएट्स, प्रो. श्री गिर्राज सिंघल महल कालोनी, शिवपुरी (म.प्र.)	30.06.2016	05 / 4968 'अ'
65	मेसर्स श्रीराम इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रो. श्री रमेश कुमार पुरानी दुधीचुआ रोड, सिंगरौली (म.प्र.)	31.03.2016	15 / 4970 'अ'
66	श्री राजेन्द्र कुमार यादव आ. श्री हजारीलाल यादव मु.-पिम्हरा पो.-आमगांव (छोटा) तह.-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)	23.01.2017	35 / 4971 'अ'
67	श्री शीलेन्द्र सिंह भदौरिया आ. श्री हरेन्द्र सिंह ग्राम-मानहड़, जिला-भिण्ड (म.प्र.)	21.04.2016	02 / 4974 'अ'
68	मेसर्स बालाजी कन्सल्ट्रक्शन, प्रो. श्री शिवेन्द्र गोयल, हनुमान गली, ए.बी.रोड, शिवपुरी (म.प्र.)	20.04.2016	05 / 4977 'अ'

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

69	मेसर्स श्रीराम इंजीनियरिंग, डी. नं.-24-1444 लेनिन नगर, जगदगिरी गुहा, हैदराबाद, तेलंगाना	18.05.2016	US / 4980 'अ'
70	श्री कमलेश सांडिया आ. श्री अम्बुप्रसाद सांडिया, 12 संजय नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)	02.04.2016	18 / 4992 'अ'
71	मेसर्स श्री सरवाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., म.नं. 68 मो. नजरगंज चौकी धर्मशाला गली, नेहरू रोड, भोपाल (म.प्र.)	11.05.2016	28 / 5016 'अ'
72	मेसर्स ऐश्वर्य इन्टरप्राइजेस, प्रो. श्रीमति आसा अरुण, एल.आई.जी. चौक सिंगरौली (म.प्र.)	30.04.2016	15 / 5019 'अ'
73	श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया, 290 जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)	10.07.2016	03 / 5025 'अ'
74	श्री पर्वत सिंह आ. श्री राजाराम खान, दौरापुर, जिला-सीहोर (म.प्र.)	30.09.2016	29 / 5032 'अ'
75	मेसर्स एस.के.एम. रामदीन अल्ट्राटेक प्रा.लि. 306 अपोलो टावर-2 एम.जी.रोड इन्दौर (म.प्र.)	20.06.2016	23 / 5033 'अ'
76	मेसर्स दम्मानी इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रो. श्री अर्पित दरयानी ए जी-153 स्कीम नं. 54 इन्दौर (म.प्र.)	जून -2016	23 / 5034 'अ'
77	श्री प्रदीप सिंह चौहान आ. श्री चन्दन सिंह मोहल्ला-मालीपुरा रेहटी तह.-रेहटी, जिला-सीहोर (म.प्र.)	30.04.2016	29 / 5036 'अ'
78	श्री मृगेन्द्र सिंह तोमर आ. श्री शंकरलाल तोमर 294 एम.एस. रोड मुरैना (म.प्र.)	01.07.2016	01 / 5041 'अ'
79	श्रीमति कौसल्या पाटीदार, 11 प्रताप नगर पिपलौदा रोड जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.)	21.05.2016	17 / 5042 'अ'
80	श्री राजकुमार चौहान आ. श्री पूरनलाल चौहान, 42/2 गली नं. 6 कंचनपुरा, मकसी रोड, उज्जैन (म.प्र.)	29.05.2016	18 / 5050 'अ'
81	श्री इन्दरसिंह परमार आ. श्री कालुजी परमार वार्ड क्र./2 ग्राम-काचरी, राजगढ़ (म.प्र.)	31.03.2016	31 / 5059 'अ'
82	मेसर्स मां बीजासेन कन्सट्रक्शन कंपनी जोशी मोहल्ला वार्ड नं. 06, श्योपुर (म.प्र.)	01.04.2016	24 / 5066 'अ'
83	मेसर्स जी केबी कार्पोरेशन, प्रो. वरुण बाहेती 43 भगवानदीन नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.)	09.07.2016	23 / 5071 'अ'
84	श्री जितेन्द्र सिंह जाटव आर.एम.पी.नगर फेस-1 विदिशा (म.प्र.)	20.06.2016	27 / 5072 'अ'
85	मे. व्ही. कान इण्डिया, प्रो. विनोद पाण्डेय फ्लेट क्र. 246 श्रीछाया काम्पलेक्स, इन्द्रपुरी सी-सेक्टर, भोपाल (म.प्र.)	07.09.2016	28 / 5079 'अ'
86	श्री विशाल चौकसे, एम-215 स्टेडियम ग्राउण्ड जनता कालोनी, नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.)	17.10.2016	23 / 5082 'अ'

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

87	मेसर्स श्रीहरि इन्फ्राटेक प्रो. संदीप दिक्षित थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) 474011	20.12.2016	03/5095 'अ'
88	श्री रामकुमार साहू, म.नं. 21 साउथ सिविल लाईन, समहिया विहार, जबलपुर (म.प्र.)	11.07.2016	33/5096 'अ'
89	श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. श्री प्रतापसिंह रघुवंशी वार्ड नं. 19 दुर्गा चौक, तलैया गली नं. 4 विदिशा (म.प्र.)	24.06.2016	27/5097 'अ'
90	मेसर्स अमित चंद्रवंशी, ई-8/184 त्रिलोचन सिंह नगर, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.)	05.05.2016 कुरीति के कारण	28/5100 'अ'
91	श्री अभिजीत चौबे, एम.आई.जी. 21 राजीव नगर कालोनी, जिला-सागर (म.प्र.)	03.06.2016	09/5107 'अ'
92	मे. एम.एम ब्रदर्स द्वारा ममता तिवारी वार्ड नं. 14 हरोला, शहडोल (म.प्र.)	19.07.2016	14/5109 'अ'
93	मेसर्स जैन इलेक्ट्रिकल कम्पनी प्रो. श्री समरथमल जैन 209/2 जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.)	27.01.2017	23/5112 'अ'
94	श्री अजय प्रताप सिंह सेंगर, आर्य नगर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)	06.09.2016	03/5113 'अ'
95	मेसर्स सर्वोत्तम सेल्स सर्विसेज, 122 फूटा मकबरा छोला रोड, भोपाल (म.प्र.)	30.09.2016	28/5126 'अ'
96	मेसर्स लिकेज यूनिट, प्रो. श्रीमति जया पाठक ए/2 सौभाग्य नगर औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	01.07.2016	28/5128 'अ'
97	श्री राकेश दुबे द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह दंडोतिया 370 कर्मचारी आवास कालोनी, मेटलगांव सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)	03.06.2016	03/5132 'अ'
98	मेसर्स तारामेन पावर सप्लायर्स, प्रो. श्री कोमल सिंह चौधरी, म.नं. 09 लाईन नं. 09 बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)	03.10.2016	03/5135 'अ'
99	श्री सत्यनारायण तिवारी आ. श्री चुन्नीलाल तिवारी एम/210 शिवमंदिर के पास, इंदिरा नगर आगर रोड, उज्जैन (म.प्र.)	26.07.2016	18/5140 'अ'
100	मेसर्स गौतम इंजीनियरिंग्स कं. प्रो. श्री उमाकांत गौतम शारदा कालोनी, कटनी रोड मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)	20.07.2016	12/5146 'अ'
101	मेसर्स डी. कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. नियर टी. बी. टावर, शिवशक्ति नगर, शिवपुरी (म.प्र.)	03.05.2016	05/5147 'अ'
102	श्री नरेन्द्र बघेल, मां पूर्णा क्र. 11 म.नं. 61 भैसदेही, जिला-बैतूल (म.प्र.)	31.12.2016	34/5151 'अ'

**पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त**

103	श्री राकेश कुमार आ. श्री रामनारायण सविता 102 शिवनगर हुरावली ग्राम-हुरावली, तह.व जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	09.08.2016	03/5154 'अ'
104	मेसर्स साई इलेक्ट्रिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन प्रा. लि. म.नं. 12/45 एल.आई.जी. ऋषिनगर, उज्जैन (म.प्र.)	24.06.2016	18/5157 'अ'
105	श्री अनिल तिवारी आ. श्री हीरालाल तिवारी, ग्राम अजगहरा, तह. हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र.)	30.08.2016	13/5172 'अ'
106	मेसर्स अरुण कन्सल्टेशन मोती चिल्ड्रन स्कूल के पास हनुमान कालोनी, गुना (म.प्र.)	20.07.2016	06/5173 'अ'
107	मेसर्स एम.एस.बालाजी कन्सल्टेशन 93 विद्यानगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)	02.08.2016	18/5174 'अ'
108	श्री प्रशांत राजवैद्य फेस-1 चन्दन नगर रसूलिया होशंगाबाद (म.प्र.)	05.07.2016	32/5176 'अ'
109	मेसर्स तोशिका इन्टरप्राइसेज, 55 फ्लेट नं. 301 सेक्टर ई.ई. स्कीम नं. 94 खजराना चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)	20.08.2016	23/5178 'अ'
110	मेसर्स शिवाशीष ट्रेडिंग, प्रो. श्री प्रवेन्द्र तिवारी तपेश्वरी बाग मालवी पेट्रोल पंप के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)	31.12.2016	23/5188 'अ'
111	मेसर्स गायत्री प्रोग्रेसिव फाउण्डेशन, प्रो. श्री प्रदीप द्विवेदी एफ/101 आकृति गार्डन, भोपाल (म.प्र.)	15.09.2016	28/5189 'अ'
112	श्री कमल पाटीदार आ. श्री रमेश चन्द्र पाटीदार, 90 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम-सिरपोई, तह.-सुसनेर, जिला-शाजापुर (म.प्र.)	05.11.2016	30/5207 'अ'
113	मेसर्स डार्क एण्ड स्कल, वाटर एण्ड एनर्जी प्रो. श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता I, म.नं. 617 दुलीप न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के.रोड, भोपाल (म.प्र.)	17.09.2016	28/5216 'अ'
114	श्री सुरेन्द्र सिंह बाथम आ. श्री दाताराम बाथम जवाहर कालोनी, रामगढ़ पंचायत डबरा, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	14.02.2016	03/5244 'अ'
115	श्री सैय्यद सऊद अली म.नं. एफ-2 मोती अपार्टमेन्ट अपोजिट मोती मस्जिद, भोपाल (म.प्र.)	10.08.2016	28/5251 'अ'
116	श्री मनीष कुमार मिश्रा, सम्मन नाका रीवा (म.प्र.)	12.12.2016	13/5272 'अ'
117	श्री अशोक पाटीदार आ. श्री देवीसिंह पाटीदार, ग्राम-नौगवां तह.-तराना जिला-उज्जैन (म.प्र.)	20.11.2016	18/5285 'अ'
118	मेसर्स सागर ग्रीन एनर्जी इन्टरप्राइजेस, एल. आई. जी.-21 दीनदयाल कालोनी, सीधी (म.प्र.)	06.02.2017	15/5288 'अ'
119	मेसर्स राज व्यास प्रो. श्री राज व्यास 105 कैलाश मार्ग, मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.)	25.07.2016	23/5308 'अ'

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

120	मेसर्स कोरिया इले.पावर कार्पो., प्रो. श्री जगतवीर सिंह 2201 कृष्णा हाईट्स नीमद बादशाह हलवाई मंदिर, नर्मदा रोड, जबलपुर (म.प्र.)	30.08.2016	33 / 5313 'अ'
121	मेसर्स अग्रवाल एजेन्सीज 2179 राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)	30.10.2016	33 / 5317 'अ'
122	मेसर्स हिन्द एसोसिएट्स, वार्ड नं. 03 श्रमधाम कालेज के पास कैमोर जिला-कटनी (म.प्र.)	30.05.2016	44 / 5318 'अ'
123	मेसर्स के.के. इन्टरप्राइजेस, प्रो. श्री कामरान खान म.नं. बी.-376/1 हाउसिंग बोर्ड, मुल्ला कालोनी बैरसिया रोड करोंद, भोपाल (म.प्र.)	31.01.2017	28 / 5330 'अ'
124	मेसर्स वोल्गा एयर टेक्नोलाजिम इण्डिया, ई-4/225 अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)	10.06.2016	28 / 5344 'अ'
125	श्री नारेन्द्र सिंह ग्राम भूनगांव पो. भूनगांव तह. -त्यौथर, जिला-रीवा (म.प्र.)	27.09.2016	13 / 5349 'अ'
126	श्री पंकज कुमार शाह द्वारा साहू कन्सट्रक्शन, ग्राम-शासन, पो. तियरा, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	03.08.2016	15 / 5354 'अ'
127	मेसर्स ए.आर.इन्टरप्राइजेस 559 बाग सेवनिया, भोपाल (म.प्र.)	10.01.2017	28 / 5363 'अ'
128	श्री कैलाश फूलवानी, एफ-10 भगवान कला केन्द्र के पास, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.)	04.02.2017	28 / 5367 'अ'
129	मेसर्स पावर कन्ट्रोल वर्क्स, 12 अशोका गार्डन हिनोतिया, 80 फीट रोड भोपाल (म.प्र.)	13.09.2016	28 / 5375 'अ'
130	मेसर्स अरिहन्त रेफ्रिजरेशन, प्रो. सरल जैन आ. श्री विमलचन्द्र जैन शाप नं. 4 प्रथम तल मुस्कान प्लाजा एम.आर.-4 रोड विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.)	15.12.2016	33 / 5400 'अ'
131	मेसर्स ए.पी.श्री हरसिद्धी नील कंठेश्वर मंदिर के पास इतवारी टोरी, सागर (म.प्र.)	22.01.2017	09 / 5444 'अ'

## 30.06.2017 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त

क्र.	विद्युत ठेकेदार का नाम व पता	ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक
1	श्री जी.एस.बिन्द्रा, पदमाकर नगर, सागर (म.प्र.)	728 'अ'
2	श्री विजय कृष्ण खन्ना, कृष्णा एण्ड कंपनी, 25 कोटा मार्केट, शक्तिनगर, सोनभद्र (उ.प्र.)	753 'अ'
3	श्री राकेश अग्रवाल आ. श्री रामहपाल अग्रवाल थोनी मोहल्ला, पो. आफिस के पास पथरिया, जिला-दमोह (म.प्र.)	917 'अ'
4	मेसर्स पूर्वांचल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, बी/एम-27, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)	935 'अ'
5	श्री मनोहर कुमार वीरानी आ. श्री मंघनदास वीरानी, 882 जीवनदीप कालोनी, इन्दौर (म.प्र.)	953 'अ'
6	श्री सुनील कुमार मिश्र प्रो./मे. टेक्नोटेक, मेनरोड, सिंगरौली (म.प्र.)	15/1204 'अ'
7	श्री वैकटेश्वर अरोरा, 15/3 केमिकल स्टाफ कालोनी बिरला ग्राम नागदा जिला-उज्जैन (म.प्र.)	18/1220 'अ'
8	श्री गुरमीत सिंह राजपाल, 164 इन्द्रपुरी कालोनी, इन्दौर (म.प्र.)	23/1303 'अ'
9	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा-अग्रवाल इले. मेन रोड जतारा जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)	1461 'अ'
10	श्री सोमिल रांका, प्रो. शारदा कन्सल्टेशन, 93 राजस्व कालोनी, रतलाम (म.प्र.)	17/1511 'अ'
11	श्री अतुल रायजादा, प्रो. इले. सर्विसेज, दुर्गा मार्ग तलैया, विदिशा (म.प्र.)	27/1555 'अ'
12	श्री नरसिंहदास काकानी, 21 नगारची बारबल, इन्दौर (म.प्र.)	23/1593 'अ'
13	श्री सुमन्त कुमार दुबे आ. श्री रघुवर प्रसाद दुबे, प्रो. अभिषेक इन्टरप्राइजेस, फ्लैट क्र. 102 बरद विनायक 45 सरस्वती नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.)	23/1976 'अ'
14	मेसर्स बंसाला इंजीनियर्स, 546 संगम कालोनी वल्लेवबाग, जबलपुर (म.प्र.)	33/1983 'अ'
15	मेसर्स नर्मदा ट्रांसमिशन प्रा. लि., 6/1 इण्डस्ट्रीयल स्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	28/1986 'अ'
16	श्री मुकेश चौबे आ. श्री कैलाश चन्द्र चौबे, इन्दौर रोड टांक चौराहा द्वारा टांक बंधु प्रेबल्स, हरदा (म.प्र.)	32/2063 'अ'
17	श्री आशुतोष दुबे द्वारा ओस्कार इलेक्ट्रिकल्स 10/1 मनोरमा गंज, इन्दौर (म.प्र.)	23/2088 'अ'
18	आई. व्ही. आर. सी. एल. लि., हा.नं. 12, सीटी विला चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)	28/2120 'अ'
19	श्री आर.के. दुबे, द्वारा आर.डी. इलेक्ट्रिकल्स, 78 भवानीधाम फेस-1 जे.के. रोड, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.)	28/2161 'अ'
20	श्री कैलाश नारायण दुबे, जी.एल. 101 दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.)	23/2328 'अ'



21	श्री अजय दीक्षित, नन्दनी इन्टरप्राइजेस, आगर रोड, सुसनेर, शाजापुर (म.प्र.)	30 / 2705 'अ'
22	श्री रामकुमार चौधरी डी के एन-41 स्कीम नम्बर 74 सेक्टर-सी विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 2708 'अ'
23	मेसर्स एम.एन.इन्टरप्राइजेस, श्री मोहम्मद कलाम आ. श्री मो. कमालुद्दीन, बड़ी मस्जिद वार्ड नं. 08 मेढौली मोरवा, जिला-सीधी (म.प्र.)	15 / 2709 'अ'
24	श्री आशुतोष श्रीवास्तव, 143 म.प्र.पा.ज.कं.लि., चचाई, अनूपपुर (म.प्र.)	47 / 2718 'अ'
25	श्री राघवेंद्र शर्मा, वनखण्डी रोड त्रिवेणी धर्मशाला के पास गोपालपुरा, मुरैना (म.प्र.)	01 / 2732 'अ'
26	श्री आनंद कुमार डोगरे प्रो. ए.एस.टी इलेक्ट्रिकल कंपनी 133 प्राइम सिटी, वीणा नगर एनेक्स सुखालिया, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 2755 'अ'
27	श्री प्रमोद कुमार आ. श्री काशीप्रसाद चौरसिया, 196 श्याम नगर एनेक्स एम.आर. 10 रोड, चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहे के पास, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 2761 'अ'
28	श्री राजेश शर्मा, गल्ला मंडी मार्केटिंग सोसायटी के पीछे चौक नं. 2, भिण्ड (म.प्र.)	02 / 2791 'अ'
29	श्री हिमांशु बासानी आ. श्री गुरुदास बासानी 32-बी वीर सांवरकर नगर, मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 2827 'अ'
30	श्री वीरेन्द्र कुमार बाजपेयी, शिक्षक कालोनी, खजरी रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36 / 2837 'अ'
31	श्री सोहनसिंह पिता हल्केसिंह राजपूत, सी एस.एफ इण्डस सेटलाइट ग्रीन कोलाद हाल, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 2841 'अ'
32	श्री तृप्तेश जैन आ. श्री स्वयंप्रकाश जैन, जैन इले. एण्ड मशीनरी, जवाहर मार्ग नागदा जं. जिला-उज्जैन (म.प्र.)	18 / 2846 'अ'
33	श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी प्रो. अम्बे इलेक्ट्रिकल्स ईसागढ़ रोड एफ.सी.आई. गोदाम के पास अशोकनगर (म.प्र.)	19 / 2873 'अ'
34	श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, 39 सरकारी कुआ घमापुर, जबलपुर (म.प्र.)	33 / 2901 'अ'
35	श्री बदीप्रसाद कुशवाहा, वार्ड क्र.-45 कुतुलिया, रीवा (म.प्र.)	13 / 3462 'अ'
36	मेसर्स शिवम बिहारी इन्टरप्राइजेस, एफ-2 / 159 अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)	28 / 3629 'अ'
37	श्री संदीप शर्मा आ. श्री शिवनारायण शर्मा विनयनगर सेक्टर-4 के सामने अनामिका पब्लिक स्कूल के पास कोटेश्वर रोड ग्वालियर (म.प्र.)	03 / 3633 'अ'
38	श्री दयाराम चौहान आ. श्री शिवजी चौहान, 8/3 हाथीताल, जनता डेरी, जबलपुर (म.प्र.)	33 / 3637 'अ'
39	मेसर्स श्री शक्ति ट्रेडर्स, हमीदिया रोड बाल बिहार पार्क के सामने, भोपाल (म.प्र.)	28 / 3643 'अ'

40	श्री महेश कुमार सेंगर, झांसी रोड महेश की बगीचा के पास डबरा, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	03/3663 'अ'
41	श्री अनंत यादव, 30/31 सातुलाल कालोनी, किला जोबट मार्ग, जोबट, जिला-अलिराजपुर (म.प्र.)	39/3666 'अ'
42	मेसर्स रोमित सेल्स कार्पोरेशन, किले का मैदान कलेक्ट्रेट के सामने, झांसी रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.)	10/3675 'अ'
43	श्री अभिषेक जैन आ. श्री सुकमाल जैन जी-4 चित्रलेखा अपार्टमेन्ट 137-धनवंतरी नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/3694 'अ'
44	मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेस प्रो. लक्ष्मीकांत वागेन्द्र, आ. श्री वामनराव वागेन्द्र, दुर्गावार्ड गौथाना, जिला-बैतूल (म.प्र.)	34/3699 'अ'
45	मेसर्स शिवशक्ति ग्रुप, श्रीलाल का बाड़ा, कमलागंज शकुन वाटिका के पास ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.)	05/3711 'अ'
46	श्री प्रमोद कुमार गोयल, साउथ सिविल लाईन, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36/3745 'अ'
47	मेसर्स एस.पी. आर. कन्सट्रक्शन, अरविन्द नगर कालोनी डूमलगुड़ा, हैदराबाद (आ.प्र.)	US/3754 'अ'
48	मेसर्स ए.पी.एसोसिएट्स, ग्राम-मुहेर, पो.-गौरवी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)	15/3809 'अ'
49	श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी प्रो. के.के. इन्टरप्राइजेस 8/1 आर्य समाज मार्ग उज्जैन (म.प्र.)	18/3821 'अ'
50	श्री करीम खान आ. श्री जब्बार खान, गढ़ीपुरा, गोल्डन टेन्ट हाउस के बाजू में, हरदा (म.प्र.)	42/3834 'अ'
51	श्री भूपेन्द्र कुमार दिसोरिया, 4 डुपलेक्स होटल कासमास के सामने, मऊ रोड, रतलाम (म.प्र.)	17/3843 'अ'
52	मेसर्स हाक इंजीनियरिंग एण्ड कान्स्ट्रक्टिंग कंपनी 1 दारूल हसनात, मोती मस्जिद के पास, भोपाल (म.प्र.)	28/3880 'अ'
53	ए.पी.टी. (प्रोजेक्ट एण्ड टर्नकी) इंजीनियर्स प्रा. लि. 113 एल. एस.सी. पोकेट डी.एल.ई. सरिता विहार, नई दिल्ली (उ.प्र.)	US/3889 'अ'
54	कुमारी वन्दना तिवारी, प्लॉट नं. 05 जनता कालेज के पास, अनन्दपुर, रीवा (म.प्र.)	13/3894 'अ'
55	श्री कमलसिंह चौहान, ग्राम-पुर, पो.-पिडौरा, तह. व जिला-भिण्ड (म.प्र.)	02/3901 'अ'
56	श्री कृष्णदास बैरागी, 224 अन्नपूर्णा नगर, नानाखेड़ा योजना क्र. 2, उज्जैन (म.प्र.)	18/3931 'अ'
57	श्री असीम अधिकारी, म.नं. 1060 शारदानगर व्हीकल रोड, जबलपुर (म.प्र.)	33/4049 'अ'
58	श्री मनीष शाह आ. श्री रसीकलाल शाह, 240 ई, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.)	23/4543 'अ'
59	श्री अनिल आ. श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा साईं इन्टरप्राइजेस 8 भगतसिंह मार्ग नलखेड़ा, शाजापुर (म.प्र.)	30/4544 'अ'

60	मेसर्स सिद्धी विनायक कन्सट्रक्शन, ए 1/13 सौभाग्य नगर कालोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	28/4545 'अ'
61	श्री गणेश प्रसाद गोयल द्वारा 93 राजस्व कालोनी, रतलाम (म.प्र.)	17/4548 'अ'
62	श्री अतुल बन्सोड़े आ. श्री सुरेश बन्सोड़े, निवासी सी.एच.डी. 644- ए, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)	23/4562 'अ'
63	श्री ओमप्रकाश सोनी आ. श्री विष्णु प्रसाद सोनी, म.नं 501 पुष्प रत्न प्राईड 35/2 न्यू पलासिया तह. व जिला-इन्दौर (म.प्र.)	23/4565 'अ'
64	मेसर्स आधार इन्टरप्राईजेस प्रो. परविंदर सिंह बिन्द्रा 1143 राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)	33/4567 'अ'
65	श्री अहिबरन सिंह यादव, जी-3 महक अपार्टमेंट विजयनगर बी-10 लालघाटी, भोपाल (म.प्र.)	28/4569 'अ'
66	मेसर्स रेमी इण्डस्ट्रीज प्रोजेक्टस 12 बी 2 सी सेक्टर डी इण्डस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	28/4581 'अ'
67	श्री दीपेन्द्र कुमार मिश्रा आ. श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा 84 ब्रजेश्वरी एन. एक्स. छायाकुंज अपार्टमेंट, इन्दौर (म.प्र.)	23/4585 'अ'
68	श्री भगवती प्रसाद शर्मा आ. श्री रामस्वरूप शर्मा ग्राम-सूरापुरा, पो.-नवेरी, तह.-कोलारस, जिला-मुरैना (म.प्र.)	01/4597 'अ'
69	श्री कुवरसिंह तंवर आ. श्री गेन्दालाल तंवर, ग्राम-पाडागांव, पो.-गिल्लौर, तह.-नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (म.प्र.)	29/4605 'अ'
70	श्री बृजेश कुमार गौतम, म.नं. 9/2 48, सुन्दरनगर बोदा बाग, रीवा (म.प्र.)	13/4614 'अ'
71	श्री आशीष शर्मा आ. श्री नरेश शर्मा, 62/1 बक्षी बाजार, उज्जैन (म.प्र.)	18/4617 'अ'
72	श्री वसीम खान आ. श्री यूसुफ खान, मर्सी इन्टरप्राईजेस 38/5 महाकाल मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)	18/4618 'अ'
73	मेसर्स श्री नवरत्न कान्स्ट्रक्टर्स प्रा. लि., 5 वर्धमान नगर, कानीपुरा रोड, उज्जैन (म.प्र.)	18/4626 'अ'
74	मेसर्स वैदिक इंजीनियर्स प्रा. लि. 250 बी.डी.ए. काम्पलेक्स, 7 नम्बर स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/4633 'अ'
75	मेसर्स श्री गिरिराज इलेक्ट्रिकल, ए-23 आदित्य नगर, सी.पी. कालोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)	03/4639 'अ'
76	श्री शत्रुघन पाण्डेय आ. श्री रामविशाल पाण्डेय, ग्राम-लैसा, पो.-रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.)	13/4640 'अ'
77	श्री कमल चौधरी आ. श्री गणेश चौधरी, 107 श्री नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)	23/4644 'अ'
78	श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी, काला बाग, बरेठ रोड 302 चर्च के सामने, गंज बासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)	23/4652 'अ'
79	मेसर्स सतीश कन्सट्रक्शन प्रो. सतीश पोटफोड़े 176 श्री नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)	23/4655 'अ'

80	श्री सालिकराम ठाकरे, एम.आई.जी.-19 दीन दयालपुरम कालोनी, बालाघाट (म.प्र.)	37 / 4657 'अ'
81	मेसर्स अलस्टम टी.एण्ड डी. इंडिया लि., ई-48/7 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-2, न्यू दिल्ली (उ.प्र.)	US / 4662 'अ'
82	श्री विनोद कुमार धाकड़, करैयाखेड़ा, लिंक रोड नं. 1, विदिशा (म.प्र.)	27 / 4666 'अ'
83	मेसर्स ओमप्रकाश अमरनाथ, 4 राधा निवास, क्षपनक मार्ग, फ्रिंगज, उज्जैन (म.प्र.)	23 / 4676 'अ'
84	मेसर्स आर.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर अनंतपुर, ए.पी.एस. यूनिवर्सिटी रोड, नियर यू.बी.आई बैंक रीवा (म.प्र.)	13 / 4680 'अ'
85	श्री नीरजसिंह चौधरी, 4542 शिवनगर आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)	33 / 4683 'अ'
86	मेसर्स दक्ष इंजीनियर इण्ड प्रो. श्री आशिष गुर्जर प्लाट नं. 156 सेक्टर एच.फर्स्ट फ्लोर इण्ड एरिया गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)	28 / 4686 'अ'
87	श्री मनोज मालवीय आ. श्री लालचन्द्र मालवीय 41/42 महावीर नगर सांखला आटा चक्की के पास भेरुगढ़ रोड, उज्जैन (म.प्र.)	18 / 4693 'अ'
88	श्री नितिन आ. श्री श्यामलाल राय, साडिया रोड गर्ल्स स्कूल के सामने पिपरिया, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)	32 / 4697 'अ'
89	श्री देवेन्द्र राठौर आ. श्री कान्ता प्रसाद राठौर ग्राम-कचनारिया जिला-राजगढ़ (म.प्र.)	31 / 4701 'अ'
90	श्री अरुण कुमार सिन्हा, एफ-12 मेहर सीमेन्ट माइन्स कालोनी, मदनपुर, पो.-सरलानगर, तह.-मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)	12 / 4704 'अ'
91	श्री प्रशांत सक्सेना 112-बी सरस्वती नगर यूनिवर्सिटी रोड ठाठीपुर ग्वालियर (म.प्र.)	03 / 4705 'अ'
92	श्री भारत सिंह आ. श्री देवीसिंह आंजना ग्राम-डिगांवमाली तह. व जिला-मंदसौर (म.प्र.)	16 / 4711 'अ'
93	मेसर्स वोल्टटेक इंजीनियर्स प्रा. लि., 2/429 माउंट पूनामल्ली रोड अय्यप्पनतंगल चेन्नई	US / 4714 'अ'
94	श्री सचिन कुमार शाह आ. श्री जगदीश चन्द्र यमुना कृपा इन्टरप्राइजेस 28 व्यंकटेश्वर मार्ग, अलीराजपुर (म.प्र.)	39 / 4717 'अ'
95	मेसर्स विनसन इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. 111-112 दूसरी मंजिल यशवंत प्लाजा 79 साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4720 'अ'
96	मेसर्स शुभम इलेक्ट्रिकल्स, 811/10 नंदानगर, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4721 'अ'
97	श्री एस.के.बैरा, बी 2/99 मलाजखण्ड टाउनशिप मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.)	38 / 4724 'अ'
98	मेसर्स एस.पी.कन्स्ट्रक्शन एण्ड कान्स्ट्रक्टर एल.आई.जी. 307 सेक्टर एच. अयोध्यानगर, भोपाल (म.प्र.)	28 / 4737 'अ'
99	श्री अनीस अहमद खान, 2599 छोटी कलाली मउ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4749 'अ'

100	श्री प्रतापसिंह पटेल आ. श्री भीकम सिंह, म.नं. 217 प्रेम नगर मदन महल, जिला-जबलपुर (म.प्र.)	33/4767 'अ'
101	मेसर्स बालाजी इन्फ्रा एण्ड इलेक्ट्रो ट्रेडर्स, प्रो.परेश सी. खनोशकर पता-कोसमी इण्डस्ट्रीज एरिया, जिला-बैतूल (म.प्र.)	34/4768 'अ'
102	मेसर्स ओमकार इन्टरप्राइजेस, प्रो. श्री संजीव सिंह कुशवाहा, यू. जी.-16 प्रेसीडेन्ट टावर मधुमिलन चौराहा, जिला-इन्दौर (म.प्र.)	23/4769 'अ'
103	मेसर्स ए.आर.एसोसिएट्स, प्रो. अर्चना त्रिवेदी, दुकान नं. गोयल निकैत, एम.पी.नगर, प्रेस काम्पलेक्स जोन-1, भोपाल (म.प्र.)	28/4784 'अ'
104	श्री राहुल बर्वे आ. श्री कृष्ण बर्वे, एफ-75 आम्रपाली गार्डन सिटी सोनवाय महू, इन्दौर (म.प्र.)	23/4804 'अ'
105	श्री सुशील मिश्र, प्लाट नं. 23 खदान रोड, अरूण नगर, रीवा (म.प्र.)	13/4806 'अ'
106	मेसर्स इंजी. एस.के. दुबे कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर, प्रो. सुनील कुमार दुबे, खेड़ापति मोहल्ला आरोन, गुना (म.प्र.)	06/4810 'अ'
107	मेसर्स महीन्द्रा ई.पी.सी. सर्विसेज प्रा. लि. 570 फस्ट फ्लोर, साधना हाउस, वर्ली, मुम्बई (महा.)	US/4812 'अ'
108	मेसर्स जीनस पावर इन्फ्राट्रक्चर लिमि., सी-18 नारायण नगर, होंशगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)	28/4816 'अ'
109	मेसर्स शायका सांपटेक प्रा.लि., 28/6 साउथ तुकोगंज सूर्या होटल के सामने, इन्दौर (म.प्र.)	23/4834 'अ'

110	मेसर्स सिवस्थ डायमेशन प्रोजेक्ट साल्यूशन लि. 211-212 दूसरी मंजिल, चेतक सेन्टर 12/2 आर.एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4846 'अ'
111	मेसर्स पालीवाल इलेक्ट्रिकल्स, साहू बावड़ी माणक चौक, रतलाम (म.प्र.)	17 / 4855 'अ'
112	मेसर्स अनिरुद्ध इन्फ्राबुल्ड प्रा.लि. ग्राम खुटियारी तह.-बमोरी जिला-गुना (म.प्र.)	06 / 4857 'अ'

113	श्री शक्ति सिंह यादव आ. श्री रामजन्म सिंह यादव, पुरानी बस्ती अण्डर ब्रिज के पास, शहडोल (म.प्र.)	14 / 4867 'अ'
114	मेसर्स हाइटेक ओडियो सिस्टम प्रा.लि. 167 प्रथम तल जोन-2 एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)	28 / 4869 'अ'
115	मेसर्स श्री यमुना जी इन्टरप्राइजेस प्रो श्री मनोज जोशी बावड़ी बस स्टेण्ड, खरगौन (म.प्र.)	24 / 4871 'अ'
116	श्री बल्लभ किरार, आ. श्री गिरधारी किरार म.नं. 125 ग्राम परवाह तह.-बमोरी, जिला-गुना (म.प्र.)	06 / 4883 'अ'
117	मेसर्स जय महाकाल इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री जगदीश विजयवर्गी 985 / 10 नंदा नगर इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4887 'अ'
118	श्री गौरव तराणेकर, प्रो. गौरव इन्टरप्राइजेस 161 / 37 पिपलिया राव, ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)	23 / 4899 'अ'
119	मेसर्स सिमेन्स लिमि., थाणो-बेलापुर रोड, थाणे, मुम्बई (महा.) 400601	US / 5069 'अ' तीन माह के अन्दर म. प्र. का पता प्रस्तुत न करने के कारण।

स्वयं के अनुरोध पर निरस्त 'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्तिओं की सूची

क्र.	विद्युत ठेकेदार का नाम व पता	कार्य छोड़ने का दिनांक	ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक
1	श्री अनिल कुमार व्यास, 8 मोती बंगला, देवास (म.प्र.)	12.09.2016	478 'अ'
2	मेसर्स गोडवाना इलेक्ट्रिकल प्रा. लि. एच.आई. जी./ई/41, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.)	31.03.2017	28/1487 'अ'
3	श्री अर्जुन भंमानी, 10 पलसीकर कालोनी, इन्दौर (म.प्र.)	16.08.2016 ठेके की मृत्यु होने के कारण	23/1494 'अ'
4	श्री उमेश सिंह रघुवंशी, आ. श्री बाबूसिंह रघुवंशी, हनुमान कालोनी, शिवदुर्गा मंदिर के पास, गुना (म.प्र.)	12.11.2016	06/1970 'अ'
5	श्री आनन्द कुमार चौरसिया आ. श्री बी.एल. चौरसिया, विद्याचल कालोनी वंदना कानवेन्ट स्कूल के पीछे, म.नं. 13, गुना (म.प्र.)	25.05.2016 ठेके की मृत्यु होने के कारण	06/2059 'अ'
6	श्री रमन कुमार तिवारी आ. श्री एच.एस. तिवारी, आर. के. इलेक्ट्रिकल्स, गणेश पथ, सिरोज जिला-विदिशा (म.प्र.)	11.05.2016	27/2078 'अ'
7	श्री सुनील कुमार तुकाराम जायसवाल, ए.बी. रोड सेन्धवा, बड़वानी (म.प्र.)	31.10.2016	40/2779 'अ'
8	श्री सुनील कुमार दुबे, 204 रविन्द्र नगर आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)	30.11.2016	33/2780 'अ'
9	श्री कमल कुमार पाठक, शास्त्री कालोनी, राजीव गांधी वार्ड बरही रोड, कटनी (म.प्र.)	31.12.2016	44/2958 'अ'
10	श्री मोहम्मद बाबर खान, 218/ए हजरत निजामुद्दीन कालोनी, पो. पिपलानी, भोपाल (म.प्र.)	25.11.2016	28/3269 'अ'
11	श्रीमति स्वाती दुबे, प्रो. विहान इन्टरप्राइजेस, 118 शुभालय बंगला, त्रिलंगा ई-8, भोपाल (म.प्र.)	15.11.2016	28/3484 'अ'
12	श्री कृष्णपाल सिंह बघेल, मुदी रोड, सुदामा नगर गंज सीहोर (म.प्र.)	14.02.2017	29/3628 'अ'
13	श्री आशीष दिसावल आ. श्री वल्लभ दिसावल, 122/2 सिंहपुरी, उज्जैन (म.प्र.)	20.12.2016	18/3646 'अ'
14	मेसर्स ए.बी.एस. पावर कन्ट्रोल, जी-4, 53 प्रगति काम्पलेक्स इतवारा रोड, भोपाल (म.प्र.)	14.07.2016	28/3658 'अ'
15	श्री संजय कुशवाहा आ. श्री रमेश कुमार कुशवाहा, शंकरपुर झीगुरा, शिवपुरी (म.प्र.)	09.09.2016	05/3710 'अ'

16	श्री मनोहर देशमुख आ. श्री आनन्दराव देशमुख, म.नं. 82, लक्ष्मीनगर, बुरहानपुर (म.प्र.)	01.01.2017	41 / 3732 'अ'
17	श्री सुधाकर वाल्के आ. श्री महादेवराव वाल्के, मु.पो. वाडेगांव म. क्र. 432, वार्ड क्र. 16, तह. पादरुना जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	13.01.2017	36 / 3774 'अ'
18	श्री रमेशन के.डी. प्रो. कलरिकल इन्टरप्राईजेस, एन.-3, 43, प्रकाश नगर, बिरसिंहपुर पाली, उमरिया (म.प्र.)	20.11.2016	46 / 3792 'अ'
19	मेसर्स थर्ड आई सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा. लि. एल.जी.-21, बी सी एम हाईटस, बाम्बे हास्पिटल के पास, इन्दौर (म.प्र.)	30.11.2016	23 / 3804 'अ'
20	श्री ख्वाजा मोहम्मद निजामी आ. श्री अला बक्श किले के पीछे, टीकमगढ़ (म.प्र.)	01.05.2016	10 / 3869 'अ'
21	श्री कमल किशोर विश्वकर्मा द्वारा के.एण्ड सी. इलेक्ट्रिकल्स 79/ए विश्वकर्मा नगर अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.)	22.03.2017	23 / 4542 'अ'
22	श्री हितेश चौधरी आ. श्री शशिकांत चौधरी, म.नं. 6 सी. जे. आर. एम. दीनदयाल उपाध्याय नगर सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)	30.06.2017	23 / 4563 'अ'
23	श्री मनोज कुमार शर्मा आ. श्री ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल बाग, गायत्री नगर नीरज टाकीज के पास, कटनी (म.प्र.)	31.12.2016	44 / 4607 'अ'
24	मेसर्स गेमन इण्डिया लि., जी. 55 एम.आई. डी.सी.बुटिबोरी नागपुर (महा.)	13.06.2017	US/4713 'अ'
25	मेसर्स नीलशिखा इन्फ्रा, 211 आर महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र.)	30.11.2016	23 / 4753 'अ'
26	श्री रामेन्द्र सिंह बुन्देला आ. श्री राजाबहादुर सिंह, म.नं. 23/130 राजा कालोनी, एम.पी.ई. बी. कालोनी के सामने सिविल लाईन झांसी रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.)	13.12.2016	10 / 4757 'अ'
27	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, वार्ड नं. 13 सिंगल टोला, उमरिया जिला-उमरिया (म.प्र.)	19.12.2016	46 / 4782 'अ'
28	श्री शैलेश कुशवाहा आ. श्री पन्नालाल कुशवाहा मु.पो. बमनाला तह.-भीकनगांव जिला-खरगोन (म.प्र.)	01.10.2016	24 / 4803 'अ'
29	मेसर्स जय बाबा इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री परिवेश तापड़े बी-23/3 बसंत बिहार कालोनी जिला-उज्जैन (म.प्र.)	31.12.2016	18 / 4858 'अ'



30	मेसर्स महाकाल सप्लायर्स प्रो. सौरभ ताम्बी, 43/2 रविशंकर नगर, उज्जैन (म.प्र.)	20.09.2016	18/4832 'अ'
31	श्री चैतराम नरवरे, ग्राम-सर्गा, तह.-मुलताई, जिला-बैतूल (म.प्र.)	05.12.2016	34/4903 'अ'
32	श्री ध्यानकेन्द्र सिंह भदौरिया, वाटर वर्क्स रोड विद्युत मंडल के सामने, भिण्ड (म.प्र.)	27.08.2016	02/5026 'अ'
33	श्री अब्दुल अजीज खान, म.नं. 408 सेक्टर ए अशोका गार्डन भोपाल (म.प्र.)	17.10.2016	28/5116 'अ'
34	श्री अफजल खान आ. श्री अकबर खान म.नं. 2404 एहमद अली कालोनी, ऐशबाग, भोपाल (म.प्र.)	05.05.2016 कुरीति के कारण	28/5124 'अ'
35	श्री अलीम उल्लाह खान 464 अशोक विहार नियर अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)	02.11.2016	28/5162 'अ'
36	श्री स्वपनिल गुप्ता आ. श्री सुरेश गुप्ता, 619 पुराना बाजार तह. पटेरा जिला-दमोह (म.प्र.)	17.04.2017	11/5281 'अ'
37	श्री रिजवान खान, 118 गोमती नगर, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)	05.02.2017	20/5340 'अ'
38	मेसर्स रजत इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री पियूष जैन, 16 रंगमहल नई पेठ, उज्जैन (म.प्र.)	20.03.2017	18/5366 'अ'
39	श्री रामनिवास शर्मा, एस.-123, कोपल स्कूल के पास नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)	31.05.2016	28/5384 'अ'
40	श्री राजपाल तायवड़े आ. श्री बृजलाल तायवड़े, विहार कालोनी 160 ए इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.)	23.11.2016	18/5423 'अ'
41	मोहम्मद अर्शी शेख आ. श्री मो. सादी कशेख, 3-ए साईनाथ कालोनी, बड़वानी (म.प्र.)	22.12.2016	40/5508 'अ'
42	श्री जुबेर इकबाल आ. श्री ख्वाजा इकबाल अहमद, 87 अशोक बिहार, भोपाल (म.प्र.)	10.07.2017	28/5001 'अ'
43	श्री दिलीप माले, म.नं. 8 वार्ड 19, एम. जी. नगर, नेपानगर, बुरहानपुर (म.प्र.)	31.07.2017	41/5548 'अ'

## कार्यालय, कलेक्टर जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्रमांक ...74.../2017 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं संकेत भोंडवे कलेक्टर, जिला उज्जैन, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन करता हूँ :-

### // जिला स्तरीय सतर्कता समिति - उज्जैन //

1	कलेक्टर/अपर कलेक्टर	अध्यक्ष	
2	शासकीय सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनित (तीन सदस्य)	1. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन 3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य सदस्य सदस्य
3	अशासकीय सदस्य	1. श्री बंसतीलाल पंवार, निवासी 85 आर्यसमाज मार्ग उज्जैन 2. श्री नरेन्द्र केथवास, निवासी 203 आजादपुरा माताजी मंदिर के पास बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन 3. श्री महेशचन्द्र लुहान, निवासी 40/5, जीवाजीगंज थाने के सामने नामदारपुरा उज्जैन	सदस्य सदस्य सदस्य
4	सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)	1. श्री प्रहलाद यादव, लोकमान्य तिलक गेट के सामने नीलगंगा उज्जैन 2. श्री अशोक शर्मा, 14, नीलगंगा कब्रिस्तान के सामने उज्जैन	सदस्य सदस्य
5	वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य)	1. जिला लीड बैंक अधिकारी (एल.डी.एम.) बैंक ऑफ इण्डिया उज्जैन	सदस्य

### // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड उज्जैन //

अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन (सभापति)
1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ओर उन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो।	1. श्री राजेश कुमार पिता श्री स्व. जमनालाल सोलंकी निवासी, 6/10 जवाहर नगर नानाखेडा उज्जैन मो. 9425094089 2. श्री नाथुलाल पिता श्री भेराजी गुजराती, निवासी ग्राम तालोद 3. श्री शोभाराम पिता बगदीराम निवासी ग्राम छाया न तहसील उज्जैन
2 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता।	1. श्री गणेश पिता श्री चुन्नीलाल धाकड निवासी 166, ई. मुनीनगर उज्जैन, मो. नं. 9630155301 2. श्री बाबूलाल पिता श्री भागीरथजी चौहान निवासी 305, संजय नगर नानाखेडा उज्जैन
3 अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/सदस्य।	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उज्जैन 2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. उज्जैन 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत उज्जैन
4 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।	शाखा प्रबंधक को-ऑपरेटिव बैंक शाखा उज्जैन
5 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील उज्जैन

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो।	1. श्री भंवरलाल पिता नंदराम सोलंकी, नि. कल्याणपुरा (अ.जा.) सदस्य 2. डॉ. गणपत डाबी पिता दयाराम डाबी, निवासी सूनेडा (अ.जा.) सदस्य 9754636691 3. श्री मांगीलाल पिता भागीरथ निवासी, झलारिया (अ.जा.जा.) सदस्य 8305678774
3	अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. श्री हरिकिशन पिता खानचंद मेलवाणी निवासी, गौधीचौक बड़नगर, सदस्य 9300764647 2. श्री राजेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह सोलंकी निवासी हरनावदा, सदस्य 9826862512
4	अनुभाग में कार्यरत एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़नगर 2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. बड़नगर 3. श्री अभयसिंह पिता भुवानसिंह, नि. बालोदालकखा (अशासकीय)
5	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य	प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बड़नगर
6	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील बड़नगर

## // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड नागदा //

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी नागदा (सभापति)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो, ओर जिन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनित किया गया है	1. श्री गोपीलाल निर्मल, नि. चेतनपुरा नागदा मो. 9754579394 (सदस्य) 2. श्री अंबाराम चरेड निवासी प्रकाशनगर गली नं. 3 नागदा मो. 9827527572 (सदस्य) 3. श्री भण्डारी प्रसाद सूर्यवंशी निवासी बादीपुरा नागदा मो.नं. 9425458912 (सदस्य)
3	अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता	1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, नि. गवर्मेन्ट कालोनी, बिरलाग्राम नागदा मो.नं. 9827326707 (सदस्य) 2. श्री मदनलाल सोनी निवासी जैन कॉलोनी नागदा मो.नं. 9630604911 (सदस्य)
4	अनुभाग में रहने वाले तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद (सदस्य) 2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. नागदा (सदस्य) 3. उद्यान अधीक्षक, श्रीराम कालोनी नागदा (सदस्य)
5	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य	शाखा प्रबंधक, को-ऑपरेटिव बैंक नागदा
6	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील नागदा

## // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड खाचरौद //

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) खाचरौद (सभापति)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो. ओर जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनित किया गया हो।	1. श्री सुरेशचन्द्र लोदवाल पिता भागीरथ निवासी भोपा कालोनी खाचरौद - सदस्य 9977754819 2. श्री रतनलाल उमावा पिता श्री भग्गा नि. मकान नं. 23 रावतपथ खाचरौद-सदस्य 9826326106 3. श्री सावरिया पिता श्री प्रथा नि. छोटी सीतलामाता खाचरौद-सदस्य 7892654512
3	अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता	1. श्री रमेशचन्द्र नन्देडा पिता गौरधनलाल नन्देडा निवासी लिमडावास खाचरौद - सदस्य मो. 9575868026 2. श्री भंवरलाल पिता इन्दरमल नवलखा, नि. मकान नं. 13 लिमडावास खाचरौद सदस्य मो. 9826532170
4	अनुभाग में रहने वाले तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद (सदस्य) 2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास खाचरौद (सदस्य) 3. उद्यान अधीक्षक, ग्राम कंचनखेडी (सदस्य)
5	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य	शाखा प्रबंधक, को-ऑपरेटिव बैंक खाचरौद- सदस्य
6	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील खाचरौद

## // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड महिदपुर //

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) महिदपुर (सभापति)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो, ओर जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया गया हो।	1. श्री जगदीश पिता राधेश्याम पंवार, निवासी जगोटी 2. श्री भगवतीलाल पिता कालूजी भांभी, निवासी गेलाखेडी 3. श्री फकीरचंद पिता पिरूलाल, निवासी रामलीला मैदान महिदपुर
3	अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता	1. श्री मोहनलाल पिता भंवरलाल शर्मा, निवासी नारायण 2. श्री सुनील पिता कंवरलाल जैन, निवासी इन्दौरख
4	एक महिला प्रतिनिधि	1. श्रीमती चंचल पति शैलेन्द्र उदीवाल, निवासी गाँधी गली नं. 02 महिदपुर
5	अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महिदपुर (सदस्य) 2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. महिदपुर (सदस्य) 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, महिदपुर
6	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य	प्रबंधक, को-ऑपरेटिव बैंक शाखा महिदपुर
	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, महिदपुर

## // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - तराना //

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना (सभापति)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो, ओर जिन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया गया हो।	1. श्री कैलाश चौहान पिता नारायण, निवासी खेडा चितावल्या- सदस्य 2. श्री मेहरबानसिंह राठौर पिता सिद्धनाथ, ग्राम सादबा - सदस्य 3. श्री मदनलाल चौराहा पिता गणपतलाल, नि. ग्राम दुधली - सदस्य
4	अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता।	1. श्री अशोक वक्त पिता श्री दुर्गाशंकर शर्मा वक्त निवासी काजी चौक ब्राह्मण गली तराना - सदस्य 2. श्री दुलीचंद पंजाबी पिता मोहनदास, निवासी तराना -सदस्य
3	अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तराना 2. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तराना 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग तराना
5	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य	प्रबंधक जिला सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक शाखा तराना
6	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील तराना

## // उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड घट्टिया //

1	अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया (सभापति)
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ओर उन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो।	1. श्री जुझारसिंह पिता रूगनाथजी, नि. ग्राम धन्नाखेडी (अ.जा.) सदस्य 2. श्री संजय पिता गल्लाजी, निवासी ग्राम बिछडोद (अ.जा.) सदस्य 3. श्री रंजीत परमार, निवासी ग्राम सोड़ग (अ.जा.) सदस्य
3	अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता	1. श्री प्रतापसिंह पिता तोलाराम आंजना, निवासी ग्राम ढाबला गौरी, सदस्य, सामान्य 2. श्री मुकेश पिता सत्यनारायण रावल, नि. जलवा सदस्य, सामान्य
4	अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/अशासकीय सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उज्जैन 2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. घट्टिया 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग घट्टिया
5	अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।	प्रबंधक जिला सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक शाखा घट्टिया
6	अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो।	तहसीलदार, तहसील घट्टिया

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प. क्र. 1723-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के हरदुआ सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सेमरिया	जरमई	174	3.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	हरदुआ सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1725-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के खारा सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सेमरिया	पुरवा	319	6.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	खारा सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1727-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के हरदुआ सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
रीवा	सेमरिया	हरदुआ 580	4.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.		हरदुआ सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1729-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर के झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
रीवा	सेमरिया	झलवार 187	5.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.		झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1731-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर के खारा सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
रीवा	सेमरिया	खारा 109	5.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.		खारा सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1733-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) तिधरा 224	(4) 6.500	(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	(6) लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1735-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) लैनवधरी 571	(4) 7.500	(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	(6) लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1737-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बड़ागांव सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) बड़ागांव 367	(4) 6.000	(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	(6) बड़ागांव सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1739-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा



11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर के झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

#### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कुमहरा 69	5.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1741-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर के बड़ागांव सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

#### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बेला 395	5.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	बड़ागांव सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1743-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर के बधरा सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

#### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बधरा 399	5.000	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, (म. प्र.)	बधरा सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1745-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	धोबखरा 298	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा, (म. प्र.)	बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1747-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	किटहा 85	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा, (म. प्र.)	बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 1749-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान.	जोगिनहाई-214	9.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1751-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनमवां	रघुराजगढ़-574	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 1753-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनमवां	नकागांव कोठार-311.	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं 7 के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	पहाडीखेरा	निजी भूमि रकबा 0.063 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.063 है.	जल संसाधन संभाग, पन्ना	पहाडीखेरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम पहाडीखेरा.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

रा. प्र. क्र.-04-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत नगर ग्राम-रावराकला हरई में उप मण्डी की स्थापना के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत उपमण्डी की स्थापना के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	हरई	नगर ग्राम-रावराकला, हरई, प. ह. नं.-48 सा. नि. मं.-हरई	सुनिता बाई पति लक्ष्मीनार आदिवासी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	174/6	02.023	कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत ग्राम-रावराकला हरई में उपमण्डी की स्थापना के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					02.023 हेक्टेयर	

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10759-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-नीलकंठीकल्ल प.ह.नं.-48, ब. नं.-151, रा.नि.मं.-चौद	रकबा 12.518 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा।	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब-माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 107/60-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आक्षेप की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-उम्बरहर प.ह.नं.-41, ब. नं.-23, सा.मि.मं.-छिन्दवाड़ा	रकबा 0.972 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा।	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब-माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्र, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10761-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस अक्षय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-झिलमिली, प.ह.नं.-39, ब. नं.-110, रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 03.672 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10762-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्पने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. जैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौंद	ग्राम-नीलकंठीखुर्द प.ह.नं.-33, ब. नं.-152, रा.नि.मं.-चौंद,	रकबा 03.665 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली यईन/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.



क्र. 10763-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-34-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. कैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भाजीपानीकला, प.ह.नं.-68, ब. नं.-427, रा.नि.यं.-छिन्दवाड़ा	रकबा 03.176 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायाँ तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल क्लिफरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायाँ तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10764-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्याण भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्रारम्भिक काल की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। कैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सोनापिपरी, प.ह.नं.-38, ब.नं.-522, शा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा	रकबा 01.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा।	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10765-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-37-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समावेशन निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समावेशन निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समावेशन निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कक्ष्ये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-खापाकला, प.ह.नं.-41, ब.नं.-94, स.नि.मं.-चौद.	रकबा 03.729 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभ्रमण सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्क्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10766-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-परसगांवसरा, प.ह.नं.-32, ब. नं.-268, श.नि.मं.-चौद.	रकबा 02.948 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली मईनर/सब मईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10767-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1075, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदन विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. जैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-धमनिष्ठा, प.ह.नं.-57, ब. नं.-281, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.	रकबा 0.432 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत धमनिष्ठा क्लस्टर मुख्य से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन मंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आवेदन लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10768-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक सम्पन्नता निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. कैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जटामा प.ह.नं.-42, ब. नं.-184, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.	रकबा 01.701 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमंक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10769-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भ्रमना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्विता है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. कैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नाम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-निशानजानोजी, प.ह.नं.-49, ब. नं.-150, रा.नि.मं.-चौद.	रकबा 04.272 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mp.revenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन कंत्रे, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10770-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-बांकानागनपुर प.ह.नं.-22, ब. नं.-195, रा.नि.मं.-चौद.	रकबा 08.168 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।



क्र. 10771-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्यायक से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-सिहोरामाल प.ह.नं.-40, ब. नं.-290, रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 01.253 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10772-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, क्ललभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नाम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-खमरा प.ह.नं.-57, ब. नं.-90, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.	रकबा 01.674 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10773-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिल्हा	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-मुड़ियाखेड़ा, प.ह.नं.-32, ब. नं.-230, रा.नि.मं.-चौद	रकबा 05.406 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10774-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दृष्टि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सरांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सरांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-बम्हनीतुरा, प.ह.नं.-32, ब. नं.-112, रा.नि.मं.-चौद.	रकबा 05.055 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल विक्टरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन वंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10775-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आक्रेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समापन्न निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समापन्न निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समापन्न निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और फारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-कोठरखाम, प.ह.नं.-32, ब. नं.-34, रा.नि.मं.-चौद.	रकबा—0.972 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.cbhindwara.nic.in](http://www.cbhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखी जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10776-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राकल्पन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दृष्टि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौद	ग्राम-नौलाझिर प.ह.नं.-32, ब. नं.-146, रा.नि.मं.-चौद.	रकबा—03.690 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.chhindwara.nic.in">www.chhindwara.nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभोग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 10777-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दृष्टि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सांख प.ह.नं.-42, ब. नं.-544, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.	रकबा 0.540 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभरण सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10778-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारसंग्रह प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारसंग्रह प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-कुहिया, प.ह.नं.-67, ब. नं.-70, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.	रकबा 01.468 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.



छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. 10829-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के अन्वये के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, कल्याण भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदन विभाग द्वारा फेंच व्यपवर्तन वृद्ध परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दृष्टि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नाम/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जम्होडीपण्डा प.ह.नं.-42, ब. नं.-186, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1	शासकीय भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा।	शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, फेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौहई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, फेंच व्यपवर्तन परियोजना मिस्ट्री बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना, तहसील-चौहई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 10830-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एपीएस-31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समावेशता निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समावेशता निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. कैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समावेशता निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं.-41, ब. नं.-490, सा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1	निजी एवं आवादी भूमि में आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	निजी एवं आवादी भूमि पर स्थित मकानों के अधिग्रहण के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.cbhimdiwara.nic.in](http://www.cbhimdiwara.nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रों, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 10234-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बंधानी, प.ह.न.-56, ब.न.-188,  
रा.नि.मं.-पौनार.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 10.397  
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
44	0.049
45/6	0.080
228/2	0.401
45/1	0.202
45/5	01.213
45/2	0.239
228/1	0.050
45/3	0.809
328/3	0.135
45/4	0.517
229/2	01.653
229/4	0.430
223	0.227
417	0.040
446	0.020
229/1	0.202
229/3	0.040

(1)

(2)

45/7

0.239

228/4

0.101

256/1

0.400

251/3

0.070

454/3

0.150

451

0.025

229/5

0.809

426/5

0.052

246/2

0.113

426/2

0.090

248

0.184

253

01.307

432/3

0.078

432/1

0.165

447

0.065

445

0.032

452

0.210

योग . . . 10.397 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में दितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1) 471/1 474/1 418/1 478/1 479/1	(2) 0.060 0.115 0.090 0.096 0.100
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
	कुल योग . .	1.049

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—राजमगर  
(ग) नगर/ग्राम—गंज (द्वितीय पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.049 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442/1/1	0.090
442/2/1	0.140
448/1	0.050
447/1/1	0.025
447/2/1	0.025
449/1/1	0.100
449/2/2	0.020
466/1	0.050
467/1	0.038
470/1	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजमगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया  
(ग) ग्राम—रावतपुरा  
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.37 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
560	0.04
334	0.02
383	0.15

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्चाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत गंधारी माइनर के निर्माण हेतु
561	0.07	
562	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
540	0.08	
515	0.04	
516	0.08	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
508	0.01	
507	0.01	
509	0.01	
510	0.04	
520	0.14	
500	0.01	
504	0.01	
505	0.04	
506	0.01	
499	0.01	
503	0.09	
472	0.01	
423	0.09	
464	0.04	
465	0.04	
466	0.01	
564	0.06	
565	0.03	
539	0.08	
538	0.02	
461	0.09	
566/min. 2, 566/min. 1,	0.01	
330	0.20	
328	0.04	
467	0.02	
518	0.02	
517	0.01	
460	0.19	
308	0.47	
301	0.01	कुआ
175	0.01	कुआ
289/1, 289/2, 289/3	0.04	
300/1, 300/2	0.01	
कुल प्रभावित सर्वे नं.		
45 कुल रकबा :	2.37	

प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया  
 (ख) तहसील—दतिया  
 (ग) ग्राम—लशायटा  
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.92 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
589	0.04
592	0.01
588	0.01
590	0.08
637	0.04
651	0.01
649	0.01
654	0.03
664	0.17
636	0.15
650	0.20
670	0.15
406	0.11
405	0.01
399	0.05

(1)	(2)	(2)
404	0.21	(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्चाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.
655	0.10	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
422	0.05	
672	0.11	
673	0.06	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
667	0.12	
638/1, 638/2	0.03	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
663	0.01	मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
424	0.13	
423	0.17	
661	0.02	
580	0.11	
591	0.07	
577	0.12	
581	0.01	
582	0.13	
583	0.08	
584	0.09	
215	0.01	
194	0.02	
191	0.08	
184	0.03	
187	0.07	
195	0.08	
186	0.06	
360	0.06	
333	0.06	
332	0.02	
337	0.02	
207	0.11	
216	0.12	
294	0.11	
370	0.15	
366	0.01	
351	0.01	
353	0.04	
401	0.17	
कुल प्रभावित सर्वे नं.		
53 कुल प्रभावित रकबा :	3.92	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर  
(ख) तहसील—जोबट  
(ग) ग्राम—कन्दा  
(घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
5.867	6.764	12.631	
(1)	(2)	(3)	
खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
551/1	0.000	0.343	0.343
551/2	0.000	0.127	0.127
552	0.325	0.000	0.325
555	0.000	0.014	0.014
554	0.000	0.299	0.299
558	0.382	0.000	0.382

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
559	0.155	0.000	0.155	1168	0.000	0.057	0.057
613	0.000	0.005	0.005	1169	0.207	0.000	0.207
612	0.000	0.163	0.163	1170	0.000	0.235	0.235
561/2	0.000	0.072	0.072	1172	0.000	0.064	0.064
611	0.000	0.041	0.041	1174	0.000	0.445	0.445
610/3	0.000	0.497	0.497	1196	0.000	0.121	0.121
610/2	0.000	0.075	0.075	1177	0.000	0.243	0.243
610/1	0.000	0.001	0.001	1178/पैकी-1	0.000	0.134	0.134
609/2	0.000	0.339	0.339	1178/पैकी-2	0.000	0.010	0.010
609/1	0.000	0.308	0.308	1178/पैकी-3	0.000	0.010	0.010
606/2	0.000	0.290	0.290	योग . .	5.867	6.764	12.631
606/1	0.000	0.316	0.316				
561/1	0.000	0.063	0.063	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.		
594	0.000	0.019	0.019	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.		
603	0.000	1.017	1.017				
602	0.000	0.686	0.686				
601	0.071	0.000	0.071				
648/पैकी-2	0.000	0.500	0.500				
646	0.000	0.016	0.016				
648/पैकी-3	0.000	0.132	0.132				
1015	0.552	0.000	0.552				
1112	0.000	0.008	0.008				
1012	0.288	0.000	0.288				
1010	0.387	0.000	0.387				
1129	0.505	0.000	0.505				
1130	0.447	0.000	0.447				
1136	0.069	0.000	0.069				
1137	0.190	0.000	0.190				
1135	0.120	0.000	0.120				
1134	0.551	0.000	0.551				
1139	0.589	0.000	0.589				
1138	0.276	0.000	0.276				
1163	0.066	0.000	0.066				
1161	0.144	0.000	0.144				
1162	0.000	0.114	0.114				
1160	0.243	0.000	0.243				
1164	0.152	0.000	0.152				
1165	0.117	0.000	0.117				
934	0.031	0.000	0.031				

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर  
(ख) तहसील—जोबट  
(ग) ग्राम—देहदला  
(घ) अर्जित रकबा—हैक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
2.809	2.532	5.341

खसरा क्रं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
86/1	0.038	0.000	0.038
86/2	0.000	0.020	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)
85/मिन-1	0.215	0.000	0.215
85/मिन-2	0.000	0.020	0.020
107/1/मिन-3	0.000	0.010	0.010
107/1/मिन-5	0.000	0.010	0.010
107/1/मिन-10	0.000	0.010	0.010
107/1/मिन-16	0.000	0.010	0.010
107/1/मिन-17	0.000	0.006	0.006
161	0.237	0.000	0.237
163	0.023	0.000	0.023
162/मिन-1	0.490	0.000	0.490
162/मिन-2	0.000	0.010	0.010
162/मिन-3	0.000	0.010	0.010
162/मिन-4	0.000	0.010	0.010
162/मिन-5	0.000	0.020	0.020
162/मिन-6	0.000	0.010	0.010
162/मिन-7	0.000	0.010	0.010
160	0.221	0.000	0.221
159	0.070	0.000	0.070
158	0.672	0.000	0.672
168	0.000	0.009	0.009
155	0.265	0.000	0.265
156	0.318	0.000	0.318
151	0.260	0.000	0.260
150	0.000	0.046	0.046
149	0.000	0.059	0.059
152	0.000	0.001	0.001
148	0.000	0.283	0.283
286	0.000	0.051	0.051
287	0.000	0.081	0.081
288	0.000	0.311	0.311
289	0.000	0.072	0.072
304	0.000	0.126	0.126
303	0.000	0.138	0.138
302	0.000	0.271	0.271
301	0.000	0.366	0.366
299	0.000	0.479	0.479
300	0.000	0.083	0.083
योग . .	<u>2.809</u>	<u>2.352</u>	<u>5.341</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—जोबट

(ग) ग्राम—देगांव

(घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
3.334	13.057	16.391

खसरा क्रं.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
493	0.000	0.626	0.626
492	0.000	0.026	0.026
494	0.000	0.155	0.155
516	0.000	0.101	0.101
515	0.000	0.548	0.548
514	0.000	0.323	0.323
513	0.000	0.501	0.501
510	0.221	0.000	0.221
528	0.000	0.417	0.417



(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
529	0.000	0.012	0.012	323/2	0.000	0.154	0.154
530/मिन-1	0.000	0.006	0.006	321	0.000	0.706	0.706
377	0.000	0.056	0.056	324/1	0.000	0.575	0.575
373/मिन-1	0.000	1.210	1.210	324/2	0.000	0.156	0.156
373/मिन-2	0.000	0.010	0.010	314	0.000	0.229	0.229
373/मिन-4	0.000	0.010	0.010	343	0.000	0.067	0.067
373/मिन-5	0.000	0.010	0.010	345/4	0.111	0.000	0.111
373/मिन-6	0.000	0.020	0.020	369/1	0.000	0.250	0.250
373/मिन-8	0.000	0.020	0.020	369/2	0.000	0.730	0.730
373/मिन-9	0.000	0.010	0.010	366/2/मिन-1	0.000	0.002	0.002
373/मिन-10	0.000	0.010	0.010	362	0.000	0.149	0.149
374	0.000	0.173	0.173	363	0.000	0.859	0.859
368	0.000	0.533	0.533	364	0.000	0.485	0.485
370	0.000	0.489	0.489	353/1	0.231	0.000	0.231
371	0.000	0.089	0.089	345/3	0.000	0.054	0.054
353/2	0.038	0.000	0.038	345/1	0.196	0.000	0.196
365/मिन-1	0.565	0.000	0.565	347	0.000	0.213	0.213
352/5	0.558	0.000	0.558	348/2	0.000	0.113	0.113
352/4	0.491	0.000	0.491	348/1	0.000	0.083	0.083
351/1	0.048	0.000	0.048	336	0.226	0.000	0.226
351/2	0.000	0.062	0.062	332	0.000	0.075	0.075
335/1	0.000	0.523	0.523	योग . .	<u>3.334</u>	<u>13.057</u>	<u>16.391</u>
335/2	0.000	0.130	0.130	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्या हेतु”.			
334	0.000	0.767	0.767	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कर्मपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.			
317	0.000	0.002	0.002	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,			
318	0.000	0.289	0.289	गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			
319/1	0.159	0.000	0.159				
319/2	0.490	0.000	0.490				
333/1	0.000	0.091	0.091				
333/2	0.000	0.043	0.043				
333/3	0.000	0.002	0.002				
322	0.000	0.893	0.893				

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. 6475-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-243-अ-  
82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया  
है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,  
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए  
आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में  
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की  
धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी  
भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—सेगावा

(घ) क्षेत्रफल—11.680 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.108
4/2	0.475
5/1	0.150
5/2	0.135
5/3	0.175
12/1	0.150
12/2	0.115
12/3 पैकि	0.130
12/4	0.155
12/5क, 13	0.245
15/3	0.165
15/4/1	0.175
15/4/2	0.175
18/2, 19	0.020
20/2	0.230
21/1 पैकि	0.170
21/1/1 पैकि	0.135

(1)	(2)
22/3, 22/5, 22/8	0.600
22/4/1, 22/7	0.310
22/4/2	0.025
23, 25, 26, 27/1 पैकि	0.185
24/1	0.057
24/4, 24/5, 24/6 पैकि	0.299
47/3, 48/3	0.350
49/2	0.165
49/3	0.050
52/10, 53/12	0.025
53/10, 53/13	0.060
54/2, 54/3	1.395
54/4	0.140
59/2	0.110
59/4	0.110
59/5	0.190
60/1	0.405
60/2	0.195
60/5	0.360
60/6	0.260
60/7	0.185
61/4, 61/5	0.210
61/10	0.040
61/12, 61/3	0.060
62/5	0.099
62/6	0.099
62/7	0.099
73/14	0.059
73/17	0.043
73/19	0.023
73/20	0.023
77/3, 79/4, 79/5	0.690
80/3	0.055
82/3, 83/1	0.305

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कस्बा बड़वानी	
82/7, 83/2	0.030	(घ) क्षेत्रफल—12.227 हेक्टेयर.	
82/9	0.375	खसरा	अर्जित रकबा
94/2	0.060	नंबर	(हे. में)
94/4	0.028	(1)	(2)
94/5	0.028	5/1, 7/2	0.137
98/1	0.360	7/1	0.315
98/2	0.235	7/5, 7/6	0.140
99/1, 100/1	0.375	9/1, 9/9	0.060
योग . .	<u>11.680</u>	9/2, 9/3	0.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़वानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांवा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.		9/4, 9/5	0.178
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		9/7	0.270
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		12/1	0.242
(5) समूचित सरकार की वेबसाईट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है.		12/3	0.246
		13/1	0.056
		13/2	0.085
		14	0.405
		16/1	0.398
		16/2	0.275
		18/2	0.430
		20/1, 21/1	0.040
		20/2, 21/2, 23/2	0.154
		20/4, 21/4	0.073
		20/5, 21/5, 22/1	0.093
		20/6, 21/6, 22/2	0.089
		21/7	0.080
		22/3, 23/5	0.097
		23/1	0.085
		23/3	0.077
		23/6	0.064
		23/11	0.064
		27/3, 27/9	0.218

क्र. 6476-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-244-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(1)	(2)	(1)	(2)
27/7, 27/8	0.170	113, 114	0.332
36/2, 37	0.166	115/2, 116	0.242
43/6	0.360	222/5	0.420
43/7	0.600	227/2	0.044
45, 46/2	0.182	227/3	0.016
48/3, 49, 50	0.235	227/4	0.178
48/4, 48/5	0.307	227/5, 228/1	0.081
48/6, 48/7	0.153	227/6, 228/6	0.036
48/8	0.109	229/1, 229/3	0.315
48/10	0.105	229/5	0.202
51/2	0.040	233	0.024
69, 70, 71, 72	0.226	234	0.068
75	0.206	266/2	0.186
77/1, 77/2, 416/2	0.270	266/4	0.024
83/1	0.222	267/3/1	0.160
87/1, 88/4	0.117	267/3/2	0.068
88/1	0.117	267/5	0.020
88/3, 89/2	0.250	267/6	0.222
91/3	0.097		
91/5	0.101		
91/6	0.052		
91/8	0.105		
92/5	0.113		
92/6	0.195		
93/1, 111/2	0.028		
93/2, 111/7	0.044		
93/3, 111/8	0.044		
111/4, 112/1	0.235		
111/9	0.044		
111/10	0.044		
112/3	0.101		

योग . . . 12.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा माइनर व फेण्डा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु,

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का अक्टोवन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितवद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वेबसाइट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. जायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.